بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

साप्ताहिक क़ादियान

बदर

Weekly BADAR Qadian HINDI

संपादक
शेख मुजाहिदअहमद

वर्ष- 11
अंक -4

Postal Reg. No.GDP -45/2026-2028

02 शाबान 1447 हिज्री कमरी, 22 सुलह 1405 हिज्री शम्सी, 22 जनवरी 2026 ई.

अल्लाह तआला का आदेश

اُدۡعُ اِلٰی سَبِیۡلِ رَبِّکَ بِالۡحِکۡمَۃِ وَالۡمَوۡعِظَۃِ الۡحَسَنَۃِ وَجَادِلۡہُمۡ بِالَّتِیۡ ہِیَ اَحۡسَنُ ؕ اِنَّ رَبَّکَ ہُوَ اَعۡلَمُ بِمَنۡ ضَلَّ عَنۡ سَبِیۡلِہٖ وَہُوَ اَعۡلَمُ بِالۡمُہۡتَدِیۡنَ۔

(النحل:126)

अनुवाद : अपने रब के मार्ग की ओर बुद्धिमत्ता के साथ और उत्तम उपदेश के साथ आमंत्रण दो, और उनसे ऐसी युक्ति के साथ संवाद करो जो सर्वोत्तम हो। निस्संदेह तुम्हारा पालनहार ही उसे सबसे अधिक जानता है जो उसके मार्ग से भटक गया है, और वही मार्गदर्शन प्राप्त करने वालों को भी सबसे भली-भाँति जानता है।

आने वाले मौऊद से बैअत करो, चाहे तुम्हें घुटनों के बल बर्फ़ पर घिसटते हुए जाना पड़े।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ:..... فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ". (صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب غزوۃ خیبر حدیث نمبر: ۴۲۱۰)

हज़रत सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु अन्हो से वर्णित है कि ख़ैबर के युद्ध के अवसर पर रसूलुल्ला सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हो से यह फ़रमाया :

अल्लाह की कसम ! यदि अल्लाह तुम्हारे माध्यम से एक ही व्यक्ति को भी मार्गदर्शन प्रदान कर दे, तो यह तुम्हारे लिए लाल रंग के ऊँटों से भी अधिक श्रेष्ठ है।

निश्चय ही स्मरण रखो। समस्त नबियों को अपने प्रचार-कार्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है

हज़रत अकदस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का उपदेश

हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं :

"यह सत्य है कि जो लोग अल्लाह तआला की ओर से आते हैं, प्रारंभ में संसार के लोग उनके शत्रु बन जाते हैं और उन्हें विविध प्रकार की यातनाएँ देते हैं तथा उनके मार्ग में बाधाएँ उत्पन्न करते हैं। कोई भी नबी या रसूल ऐसा नहीं आया जिसने कष्ट न उठाए हों, और जिसे छलिया, धूर्त अथवा स्वार्थी व्यापारी जैसे नाम न दिए गए हों। किंतु इसके बावजूद कि करोड़ों लोगों ने उन पर हर प्रकार के बाण चलाने चाहे, उन पर पत्थर फेंके, उन्हें अपशब्द कहे, उन्होंने किसी भी बात की परवाह नहीं की। कोई भी कारण उनके मार्ग में अवरोध नहीं बन सका। वे निरंतर संसार को अल्लाह तआला का वचन सुनाते रहे और जो संदेश वे लेकर आए थे, उसे पहुँचाने में उन्होंने किसी भी क्षण की उपेक्षा नहीं की। अज्ञानग्रस्त सांसारिक लोगों की ओर से जो ये कष्ट और पीड़ाएँ उन्हें पहुँचीं, उन्होंने उन्हें शिथिल नहीं किया, बल्कि वे और अधिक तीव्र गति से आगे बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि वह समय आ गया जब अल्लाह तआला ने उन कठिनाइयों को उनके लिए सरल बना दिया और विरोधियों को बात समझ में आने लगी। फिर वही विरोधी संसार उनके चरणों में आ गिरा और उनकी सत्यनिष्ठा तथा सच्चाई को स्वीकार करने लगा। हृदय अल्लाह तआला के हाथ में हैं, वह जब चाहता है उन्हें परिवर्तित कर देता है।

निश्चय ही स्मरण रखो, समस्त नबियों को अपने प्रचार-कार्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम, जो समस्त नबियों में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम थे, यहाँ तक कि आप पर अल्लाह तआला ने नबुव्वत की श्रृंखला को समाप्त कर दिया, अर्थात् नबुव्वत की समस्त पूर्णताएँ स्वभावतः आप पर ही पूर्ण हो गईं। ऐसे महान और उच्च पदस्थ नबी होने के बावजूद कौन नहीं जानता कि आपको अपने संदेश के प्रचार में कितनी कठिनाइयों और कष्टों का सामना करना पड़ा, और अविश्वासियों ने किस सीमा तक आपको सताया और दुःख पहुँचाया।"

(मल्फ़ूज़ात, भाग 4, पृष्ठ 152, संस्करण 1988)

तफ़सीर-ए-कबीर से अंश

प्रत्येक प्रमाण को पहले भली-भाँति जाँच लो। जो दृढ़ और सुदृढ़ हो, उसी को प्रस्तुत करो

हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु, सूरह अर-रअद की आयत संख्या 126 :

"उद्अु इला सबीलि रब्बिका बिल-हिक्मति वल-मौइज़तिल-हसनति व जादिल्हुम बिल्लती हीया अहसन"

की व्याख्या में फ़रमाते हैं :

क्योंकि अब धर्म का प्रचार व्यापक होने वाला था, और यहूदियों तथा ईसाइयों में, जिनके पास दिव्य ग्रंथ विद्यमान थे, इस्लाम का संदेश पहुँचाया जाना था, इसलिए यह आदेश दिया गया कि उनके समक्ष अधिक दृढ़ता की आवश्यकता है। बहुदेववादियों के सामने यह सरल था कि केवल बहुदेववाद का खंडन कर देने से ही विवाद का समाधान हो जाता था, किंतु यहूदियों और ईसाइयों के समक्ष धार्मिक विधानों की विस्तृत चर्चाओं में प्रवेश करना भी अनिवार्य था। इसलिए पहले ही यह विशेष निर्देश दे दिया गया कि आमंत्रण बुद्धिमत्ता के साथ हो।

बुद्धिमत्ता के विविध अर्थों के अनुसार इस आयत के अर्थ भी अनेक हैं। उदाहरणार्थ ज्ञान, परिपक्वता, न्याय, नबुव्वत, सहनशीलता और धैर्य; वह तत्व जो अज्ञान से रोके: वह वाणी जो सत्य के अनुकूल हो; तथा अवसर और परिस्थिति के अनुरूप कही गई बात ये सभी अर्थ यहाँ पूर्ण रूप से लागू होते हैं। आदेश दिया गया कि बुद्धिमत्ता के साथ आमंत्रण दो, अर्थात् ज्ञानपूर्ण बातों को प्रस्तुत करो; अर्थात् पूर्व नबियों के ग्रंथों के आधार पर विषयों की नींव रखकर संवाद करो। खेद है कि मुस्लिम व्याख्याकारों ने इस आदेश की ओर ध्यान नहीं दिया और लोगों से सुनी-सुनाई बातों के आधार पर बाइबल के विषय में ऐसे संदर्भ अपनी पुस्तकों में लिख दिए, जिनके कारण आज तक यहूदियों और ईसाइयों को इस्लाम पर आक्षेप करने का अवसर मिलता रहा है।

दूसरा निर्देश यह दिया गया कि परिपक्व और ठोस बातें प्रस्तुत करो, कोई भी बात कच्ची न हो। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य सहायक प्रमाणों को स्वतंत्र और मूल प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर देता है, जिसका परिणाम यह होता है कि विरोधी उन्हीं को पकड़कर बैठ जाते हैं। इसलिए कहा गया प्रत्येक प्रमाण को पहले अच्छी तरह परख लो जो दृढ़ और सुदृढ़ हो, उसी को प्रस्तुत करो।

(तफ़सीर-ए-कबीर, भाग 6, पृष्ठ 249, सूरह अन-नहल, आयत 126 की व्याख्या के अंतर्गत)

अख़बार-ए-अहमदिया

रूहानी ख़लीफ़ा इमाम जमाअत अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिहिल अज़ीज सकुशल हैं। अलहम्दो लिल्लाह। अल्लाह तआला हुज़ूर को सेहत तथा सलामती से रखे तथा प्रत्येक क्षण आप पर अपना फ़ज़ल नाज़िल करता रहे। आमीन

जमील अहमद नासिर प्रिंटर एवं पब्लिशर ने फ़ज़्ल-ए-उमर प्रिंटिंग प्रेस क़ादियान में छपवा कर दफ़्तर अख़बार बदर से प्रकाशित किया। प्रौपराइटर - निगरान बदर बोर्ड क़ादियान

आइए, क़ादियान चलें!

(संपादकीय)

क़ादियान दारुल-अमान में इस समय जलसा सालाना की तैयारियाँ पूरे उत्साह के साथ चल रही हैं, और दूसरी ओर प्रत्येक अहमदी का हृदय भी जलसा सालाना में सम्मिलित होने के लिए उत्साही स्वयंसेवकों की भाँति धड़क रहा है। वृद्ध, बालक, महिलाएँ, यहाँ तक कि आयु में बहुत आगे बढ़ चुके श्रद्धालु भी अत्यंत उत्कंठा के साथ सम्मेलन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अल्लाह तआला प्रत्येक के लिए सरलता उत्पन्न करे और पूर्ण कुशलता एवं सुरक्षा के साथ जलसा सालाना क़ादियान में सम्मिलित होने तथा खुदा तआला के निशानों की बरकतों से भरपूर लाभ प्राप्त करने की सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन।

इस वर्ष जलसा सालाना क़ादियान, हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ की स्वीकृति से 26, 27 और 28 दिसंबर, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को आयोजित हो रहा है। इस खुदा तआला के सम्मेलन के विषय में सय्यदना हज़रत अक़्दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं:

"इस जलसे (सम्मेलन) को साधारण सम्मेलनों की भाँति न समझो। यह वह कार्य है जिसकी नींव शुद्ध सत्य के समर्थन और इस्लाम के वचन की उन्नति पर आधारित है। इसकी आधारशिला स्वयं खुदा तआला ने अपने हाथ से रखी है और इसके लिए उसने ऐसी जातियाँ तैयार की हैं जो शीघ्र ही इसमें सम्मिलित होंगी, क्योंकि यह उस सर्वशक्तिमान का कार्य है जिसके सामने कोई भी बात असंभव नहीं।"

(इश्तिहार, 7 दिसंबर 1891)

इसी प्रकार आप अलैहिस्सलाम ने यह भी फ़रमाया :

"जहाँ तक संभव हो, सभी मित्रों को चाहिए कि केवल अल्लाह के लिए खुदा तआला की बातों को सुनने तथा प्रार्थना में सहभागी होने के उद्देश्य से इस निश्चित तिथि पर अवश्य आ जाएँ। इस सम्मेलन में ऐसे सत्य और गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान प्रस्तुत किए जाएँगे जो विश्वास, दृढ़ निश्चय और आत्मिक पहचान की उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त इन मित्रों के लिए विशेष प्रार्थनाएँ और विशेष ध्यान भी होगा, और जहाँ तक संभव हो, परम दयालु खुदा के द्वार पर यह प्रयास किया जाएगा कि खुदा तआला उन्हें अपनी ओर आकर्षित करे, उन्हें अपने लिए स्वीकार करे और उनके भीतर पवित्र परिवर्तन प्रदान करे।"

आप अलैहिस्सलाम आगे फ़रमाते हैं:

"इन जलसों (सम्मेलनों) का एक अस्थायी लाभ यह भी होगा कि प्रत्येक नए वर्ष में जितने भी नए भाई इस समुदाय में सम्मिलित होंगे, वे निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपने पूर्ववर्ती भाइयों को प्रत्यक्ष देख सकेंगे और परस्पर परिचय एवं स्नेह का संबंध निरंतर विकसित होता रहेगा। और जो भाई इस अवधि में इस नश्वर संसार से विदा हो जाएँगे, उनके लिए इस सम्मेलन में क्षमा-प्रार्थना की जाएगी। साथ ही सभी भाइयों को एक सूत्र में बाँधने, उनके बीच की शुष्कता, परायापन और फूट को समाप्त करने के लिए परम आदरणीय प्रभु के दरबार में प्रयास किया जाएगा। इस आध्यात्मिक सम्मेलन में इसके अतिरिक्त भी अनेक आत्मिक लाभ और फल होंगे, जो खुदा तआला की इच्छा से समय-समय पर प्रकट होते रहेंगे।"

(आसमानी फ़ैसला, पृष्ठ 9–10)

इस पवित्र सम्मेलन के अतिथियों के लिए सय्यदना हज़रत अक़्दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने स्वयं महान त्याग प्रस्तुत किए। प्रारंभिक जलसा सालानों के दिनों में, जब हज़रत मीर नासिर नवाब साहब रज़ियल्लाहु अन्हु के कंधों पर सम्मेलन की व्यवस्थाओं का भार था, एक अवसर पर अतिथियों के लिए व्यय की कमी हो गई। तब हज़रत मीर साहब, जो हज़रत अक़्दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के सम्मानित ससुर थे, आपकी सेवा में उपस्थित हुए और निवेदन किया कि अगले दिन अतिथियों की सेवा के लिए कोई धन शेष नहीं है।

इस पर हज़रत अक़्दस अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि घर जाकर पत्नी महोदया : अर्थात् हज़रत उम्मुल मोमिनीन नुसरत जहाँ बेगम साहिबा, आपकी सम्मानित पत्नी के आभूषण लेकर उन्हें विक्रय कर दें और अतिथियों की व्यवस्था कर लें। अतः हज़रत मीर साहब ने आभूषण विक्रय किए और अतिथियों की व्यवस्था की।

अगले दिन उन्होंने पुनः निवेदन किया कि आभूषणों के विक्रय से प्राप्त धन से केवल एक दिन का ही व्यय पूरा हो सका है, और अब अगले दिन के लिए फिर आवश्यकता है। इस पर हज़रत अक़्दस अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया : "जहाँ तक हमारे पास सामर्थ्य थी, हमने व्यय कर दिया है। अब हमारे पास भी कोई साधन नहीं है। जिनके अतिथि हैं, वही स्वयं प्रबंध करेगा।"

इस घटना के वर्णनकर्ता हज़रत मुंशी ज़फ़र अहमद साहब कपूरथलवी कहते हैं कि अगले दिन डाकिया आया, जिसके पास कई धनादेश थे, जिन पर लिखा था कि हम इच्छा के बावजूद जलसा सालाना में उपस्थित नहीं हो सके, इसलिए अतिथियों की सेवा के लिए यह धन भेज रहे हैं। हज़रत अक़्दस अलैहिस्सलाम ने हज़रत मीर साहब को बुलाया, उन्हें वे धनादेश सौंपे और खुदा तआला पर भरोसे के विषय में भाषण दिया तथा फ़रमाया कि जिस सीमा तक एक सांसारिक व्यक्ति को अपने नोटों से भरे संदूक पर विश्वास होता है, उससे कहीं अधिक मुझे खुदा तआला की सत्ता पर विश्वास है।

इसी प्रकार हज़रत मुंशी ज़फ़र अहमद साहब कपूरथलवी यह भी वर्णन करते हैं कि एक बार सम्मेलन में इतने अधिक अतिथि आ गए कि बिस्तरों की कमी पड़ गई। स्वयंसेवकों ने सभी घरों से रज़ाइयाँ एकत्र कर लीं, यहाँ तक कि हज़रत अक़्दस अलैहिस्सलाम के घर से भी सभी रज़ाइयाँ उठा ली गईं और आपके लिए तथा परिवार के लिए भी कोई रज़ाई शेष न रही।

वे कहते हैं कि मैं हज़रत अक़्दस अलैहिस्सलाम के घर उपस्थित हुआ। देखा कि आपके पास कोई रज़ाई नहीं है और आपके एक पुत्र—संभवतः हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब—एक ओवरकोट ओढ़े हुए लेटे हैं। इस पर मैंने स्वयंसेवकों को डाँटा और कहा कि तुम लोगों ने हज़रत अक़्दस और उनके परिवार के लिए भी कुछ नहीं छोड़ा। स्वयंसेवकों ने उत्तर दिया कि जिन्हें दे दिया गया है, उनसे अब वापस लेना कठिन है।

बड़ी कठिनाई से कहीं से एक रज़ाई लाकर हज़रत अक़्दस अलैहिस्सलाम की सेवा में प्रस्तुत की गई, किंतु आपने यह कहकर लेने से मना कर दिया कि मुझे नींद नहीं आती; आज की रात किसी प्रकार व्यतीत हो जाएगी। यह रज़ाई भी किसी अन्य अतिथि को दे दी जाए। अतः वह रज़ाई भी किसी और अतिथि को दे दी गई।

इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि हज़रत अक़्दस अलैहिस्सलाम की दृष्टि में सम्मेलन के अतिथियों का कितना ऊँचा स्थान था। आप उन्हें अपने ही अतिथि समझते थे। आपके जीवन के इस पक्ष से यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें जलसा सालाना के अतिथियों की सेवा को कितनी अधिक महत्ता देनी चाहिए, क्योंकि खुदा तआला का मसीह स्वयं उन्हें अपने ऊपर प्राथमिकता देता था।

अब हम उन प्रार्थनाओं पर इस लेख का समापन करते हैं, जो हज़रत अक़्दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने सम्मेलन में सम्मिलित होने वालों के लिए की हैं। आप अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं :

"जो भी व्यक्ति इस खुदा तआला के सम्मेलन के लिए यात्रा करे, अल्लाह तआला उसके साथ हो, उसे महान प्रतिफल प्रदान करे, उस पर दया करे, उसकी कठिनाइयों और व्याकुलताओं को सरल बना दे, उसके सभी दुःख और चिंताएँ दूर कर दे, उसे हर पीड़ा से मुक्ति प्रदान करे, उसकी अभिलाषाओं के मार्ग खोल दे, और अंतिम दिन उसे अपने उन सेवकों के साथ उठाए जिन पर उसका अनुग्रह और दया है। यात्रा की समाप्ति तक और उसके पश्चात भी वह उसका संरक्षक बना रहे। हे खुदा तआला, हे महिमा और क्षमा के स्वामी, हे दयालु और कठिनाइयों को दूर करने वाले! इन सभी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर और हमें अपने विरोधियों पर स्पष्ट दिव्य चिह्नों के साथ विजय प्रदान कर, क्योंकि समस्त शक्ति और सामर्थ्य केवल तेरे ही अधिकार में है। आमीन, फिर आमीन।"

(इश्तिहार, 7 दिसंबर 1892)

अल्लाह तआला हम सब के विषय में सय्यदना हज़रत अक़्दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की इन प्रार्थनाओं को स्वीकार करे, और सम्मेलन के समस्त कार्यक्रमों को विशेष रूप से हज़रत अक़्दस अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ के उस संबोधन को, जो एम.टी.ए. पर सीधा प्रसारित होगा सुनने तथा उसे हृदय और आत्मा से अपनाने की हमें सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन।

★ ★ ★

ख़ुत्बः जुमअः

अहमदिया जमाअत जो भी बात करती है, वह अल्लाह तआला के अनुग्रह से पूर्ण विवेक, बौद्धिक तर्क और प्रमाणों के साथ करती है, और उसी शिक्षा के अनुसार करती है जो अल्लाह तआला ने आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को क़ुरआन-ए-करीम में प्रदान की तथा जिस पर स्वयं आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने अपने जीवन में आचरण करके दिखाया। अतः इस तथ्य को सदैव दृष्टि में रखना चाहिए कि जो भी प्रचार हमें करना है, वह सर्वोत्तम, सुन्दर और प्रभावशाली ढंग से किया जाए।

क़ुरआन-ए-करीम में अल्लाह तआला ने इस आयत में ही नहीं, बल्कि अनेक अन्य आयतों में भी, जहाँ प्रचार करने की शिक्षा दी है, वहाँ यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रचार सर्वोत्तम शैली में किया जाए और सुशिक्षाप्रद उपदेश दिया जाए, ताकि उसका प्रभाव भी हो और उससे लाभ भी पहुँचे। जो लोग इन शिक्षाओं पर अमल करते हैं, उनका प्रचार सदैव फलदायी सिद्ध होता है, वह प्रभाव उत्पन्न करता है, और अल्लाह तआला के अनुग्रह से वे अत्यधिक सीमा तक सफलता प्राप्त कर लेते हैं।

एक प्रचारक और अल्लाह की ओर बुलाने वाले को यह बात हर समय सामने रखनी चाहिए कि जब हमें प्रचार करना है, तो उसके साथ अनेक आवश्यक शर्तें और उत्तरदायित्व भी जुड़े हुए हैं, जिन्हें पूरा करना अनिवार्य है। यदि यह बात ध्यान में रखी जाए, तभी हम प्रचार को सही, संतुलित और प्रभावी ढंग से कर सकेंगे।

जो लोग प्रचार करते समय कभी-कभी क्रोध में आकर विरोधी की भाषा और शैली अपनाने लगते हैं, उन्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारा प्रचार सदैव नैतिकता की मर्यादा के भीतर ही रहना चाहिए। जिनके पास तर्क और प्रमाण नहीं होते, वे ही अनुचित भाषा का सहारा लेते हैं। यदि हम भी अनुचित भाषा अपनाएँगे, तो इसका अर्थ यह होगा कि हमारे पास भी कोई सुदृढ़ प्रमाण शेष नहीं रहा।

कभी-कभी प्रचार के दौरान लोगों से अतिशयोक्ति हो जाती है, जबकि प्रचार में किसी प्रकार की अतिशयोक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। क़ुरआन-ए-करीम की शिक्षा को सामने रखें, नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की हदीसों को दृष्टि में रखें, और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के वचनों को सामने रखकर प्रचार करें, और फिर समस्त विषय को अल्लाह तआला के सुपुर्द कर दें।

यह समझना उचित नहीं कि हमारा उद्देश्य अमुक मौलवी या अमुक विद्वान को प्रचार के माध्यम से अनिवार्य रूप से सहमत कर लेना है, या किसी विशेष विवाद खड़ा करने वाले अथवा आपत्तियाँ उठाने वाले व्यक्ति को ही लक्ष्य बनाना है। हमारा वास्तविक उद्देश्य यह है कि संसार तक सच्चे इस्लाम का संदेश पहुँचे, और दुनिया को इस सत्य का विश्वास दिलाया जाए कि इस युग में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के आने का जो वादा था, वह पूर्ण हो चुका है और वे प्रकट हो चुके हैं। इसके लिए हमें निरन्तर प्रयास करना चाहिए। केवल विवादों, बहसों और दीर्घ प्रश्नोत्तर में उलझने के स्थान पर, प्रचार के माध्यम से यह विचार करना चाहिए कि हम किस प्रकार अधिक से अधिक लोगों तक सत्य का संदेश पहुँचा सकते हैं और उनके आचरण का सुधार कर सकते हैं।

मुरब्बियान से मैं यह कहना चाहता हूँ कि उनके कंधों पर अत्यन्त विशाल उत्तरदायित्व है। उन्हें केवल जमाअत की नैतिक और धार्मिक प्रशिक्षण ही नहीं करनी है, बल्कि उस प्रशिक्षण के साथ-साथ व्यक्तियों को अल्लाह तआला के साथ सुदृढ़ संबंध में भी जोड़ना है। जहाँ वे यह कार्य करेंगे, वहीं उनके ज्ञान में भी वृद्धि करें और उन्हें इस आध्यात्मिक संघर्ष के लिए तैयार भी करें। जब वे यह सब करेंगे, तभी वे अपने दायित्व और वचन को पूर्ण करने वाले कहलाएँगे।

क़ुरआन-ए-करीम, नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की हदीसें, तथा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के उपदेशों के प्रकाश में प्रचार से संबंधित स्वर्णिम उपदेश।

ख़ुत्बः जुमअः सय्यदना अमीरुल मौ'मेनीन हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाहो तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़, दिनांक 05 दिसम्बर 2025 ई. स्थान - मस्जिद मुबारक इस्लामाबाद सिर्रे (यू.के)

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ۔ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۔اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۔ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ (النحل126)

इसका आशय यह है कि अपने पालनकर्ता के मार्ग की ओर विवेक के साथ और उत्तम उपदेश के माध्यम से आमंत्रण दो तथा उनसे ऐसा संवाद करो जो सर्वोत्तम हो। निस्संदेह तुम्हारा पालनकर्ता ही उसे भली-भाँति जानता है जो उसके मार्ग से विचलित हो गया है और वही उन लोगों को भी पूर्ण रूप से जानता है जिन्होंने सही मार्ग प्राप्त किया है।

पवित्र क़ुरआन में ख़ुदा तआला ने इस आयत में ही नहीं, बल्कि अनेक अन्य आयतों में भी, जहाँ प्रचार का आदेश दिया है, वहीं अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली ढंग से प्रचार करने का निर्देश भी दिया है तथा उपदेश देने की प्रेरणा भी दी है, जिससे दूसरों पर प्रभाव पड़े और उसका लाभ भी प्राप्त हो। और जो लोग इस सिद्धांत पर आचरण करते हैं, उनका प्रचार सदा फलदायी सिद्ध होता है, प्रभाव उत्पन्न करता है और ख़ुदा तआला की कृपा से वे बहुत सीमा तक सफलता प्राप्त कर लेते हैं।

अतः इस सिद्धांत को सदैव अपने सम्मुख रखना चाहिए। वर्तमान समय में सामाजिक संचार माध्यमों के कारण लोग यह समझने लगे हैं कि प्रचार करना अत्यंत सरल हो गया है। जिन लोगों में रुचि और उत्साह होता है, वे इस कार्य को अत्यधिक लगन के साथ करने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सार्वजनिक स्थलों पर जाकर—जहाँ जिन देशों में इसकी अनुमति है; पाकिस्तान आदि देशों में तो वैसे भी प्रचार की अनुमति नहीं है अपने प्रचार-उत्साह की पूर्ति वहाँ जाकर करते हैं। यह अपने स्थान पर एक अच्छी बात है, किंतु प्रचार के लिए भी कुछ आवश्यक नियम और मर्यादाएँ होती हैं, जिन्हें सदैव ध्यान में रखना चाहिए, अन्यथा इसका विपरीत प्रभाव उत्पन्न हो जाता है।

जैसा कि ख़ुदा तआला ने इस आयत में भी स्पष्ट किया है। इसलिए इस तथ्य को भली-भाँति समझो और उसके पश्चात प्रचार करो, क्योंकि कुछ लोग अपने प्रचार के माध्यम से दूसरों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होने के स्थान पर उलटा परिणाम सामने आता है और कभी-कभी बाहरी लोगों को जमाअत पर तथा जमाअत की शिक्षाओं पर आपत्ति करने का अवसर मिल जाता है, जबकि वे आपत्तियाँ वास्तविक तथ्यों से दूर होती हैं।

इसके अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नए-नए इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और

यह समझते हैं कि हमारे पास बहुत सशक्त तर्क हैं। किंतु जब वास्तव में उनके पास ठोस प्रमाण नहीं होते और वे विरोधियों को संतुष्ट नहीं कर पाते तथा प्रबल तर्क प्रस्तुत नहीं कर सकते, तो वे निराशा का शिकार हो जाते हैं, जबकि निराश होने का कोई कारण नहीं है। हमारे पास ख़ुदा तआला की कृपा से पर्याप्त तर्क उपलब्ध हैं। हाँ, यह अलग बात है कि किसी व्यक्ति में उन्हें समझने की क्षमता न हो अथवा वह उन्हें उचित ढंग से प्रस्तुत न कर सके।

जमाअत अहमदिया जो भी बात प्रस्तुत करती है, वह ख़ुदा तआला की कृपा से विवेक और प्रमाण के साथ प्रस्तुत करती है तथा उसी शिक्षा के अनुरूप करती है जो ख़ुदा तआला ने आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को पवित्र क़ुरआन में प्रदान की और जिस पर स्वयं आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने आचरण किया। अतः इस बात को सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी प्रचार किया जाए, वह अत्यंत सुंदर और उत्तम ढंग से किया जाए।

एक अवसर पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने प्रचार के विषय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया। आपने कहा कि उनसे यह प्रश्न किया गया था कि अमेरिका और यूरोप में इस्लाम की शिक्षा फैलाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। क्या यह उचित है कि कुछ अंग्रेज़ी जानने वाले मुसलमान यूरोप और अमेरिका जाएँ और उपदेश तथा उद्घोषणा के माध्यम से इस्लाम के उद्देश्यों को वहाँ के लोगों के सामने प्रस्तुत करें। आपने कहा कि केवल भाषा का ज्ञान होना ही प्रचार के लिए पर्याप्त नहीं है। आप आगे कहते हैं कि सामान्यतः मैं इसका उत्तर कभी भी स्वीकृति में नहीं दूँगा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण कथन है, क्योंकि जैसा कि आपने स्पष्ट किया कि केवल किसी भाषा का ज्ञान प्राप्त हो जाना ही धर्म का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाना नहीं है, बल्कि इसके लिए अनेक अन्य आवश्यक योग्यताएँ भी होती हैं।

इसके लिए ज्ञानवृद्धि की आवश्यकता होती है, जैसा कि पहले भी कहा गया है। यहाँ भी विभिन्न स्थानों पर लोग प्रचार करते हैं, किंतु वे विरोधियों के प्रश्नों का पूर्ण और संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते, क्योंकि उनके पास समग्र और गहन ज्ञान का अभाव होता है। सामाजिक संचार माध्यमों पर भी यही स्थिति देखने में आती है, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है।

अतः सबसे पहले प्रत्येक वह व्यक्ति जो ख़ुदा तआला की ओर आमंत्रित करने वाला है और जिसे प्रचार का उत्साह है, उसे अपने ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए। आपत्तियों को एकत्रित करे सामान्यतः जमाअती साहित्य में उनके उत्तर उपलब्ध होते हैं और यदि वहाँ न मिलें, तो उस देश में गठित प्रचार-दल से संपर्क करे, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करे और उस दल में जो ज्ञानसम्पन्न व्यक्ति हों, उनसे सहायता ले। जैसा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो कभी भी स्वीकृति में उत्तर नहीं दूँगा।

फिर आगे आप कहते हैं कि मैं इसे कदापि उचित नहीं समझता कि ऐसे लोग, जो इस्लामी शिक्षाओं से पूर्णतः परिचित नहीं हैं, उनकी उच्च कोटि की विशेषताओं से सर्वथा अनभिज्ञ हैं, वर्तमान युग की आलोचनाओं के उत्तर देने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हैं और जिन्हें पवित्र आत्मा से शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है, वे हमारी ओर से प्रतिनिधि बनकर जाएँ। यह भी अत्यंत आवश्यक है कि प्रचार करने वाले का पवित्र आत्मा से शिक्षित होना और ख़ुदा तआला से गहरा संबंध होना चाहिए। आपने कहा कि वे हमारी ओर से प्रतिनिधि बनकर जाएँ यह संभव नहीं है। आपने स्पष्ट किया कि मेरे प्रचारकों का ख़ुदा तआला से विशेष संबंध होना चाहिए, जिससे ख़ुदा तआला उनकी सहायता करे।

आप आगे कहते हैं कि मेरे विचार में इस प्रकार की प्रक्रिया का नुकसान उसके लाभ की अपेक्षा अधिक और शीघ्र प्रकट होने वाला है, सिवाय इसके कि ख़ुदा तआला चाहे।

(अज़ाला-ए-औहाम, रूहानी ख़ज़ाइन, खंड 3, पृष्ठ 516-517)

इसका अभिप्राय यह है कि यदि हम इस प्रकार कार्य करेंगे, तो सामान्यतः उसका लाभ कम और हानि अधिक होगी। यद्यपि कुछ विशेष अवसरों पर कभी-कभी लाभ भी हो जाता है और एक-दो उदाहरण मिल जाते हैं, किंतु सामान्य स्थिति यही रहती है कि इसका प्रभाव नकारात्मक होता है। अतः एक प्रचारक और ख़ुदा तआला की ओर आमंत्रित करने वाले को यह तथ्य सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि प्रचार के साथ अनेक आवश्यक तत्व भी जुड़े होते हैं, जिन्हें पूरा करना अनिवार्य है। जब ये तत्व पूर्ण होंगे, तभी सही और प्रभावी ढंग से प्रचार संभव होगा।

प्रचार के विषय में पहली बात जो हमें स्मरण रखनी चाहिए, वह यह है कि इस्लाम ही वह एकमात्र धर्म है और आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ही वह एकमात्र नबी हैं जो ख़ुदा तआला का वह संदेश लेकर आए जो सम्पूर्ण मानवता के लिए है। ख़ुदा तआला ने आपको समस्त मनुष्यों, सम्पूर्ण संसार और सभी जातियों के लिए शुभ-सूचक और चेतावनी देने वाला बनाकर भेजा। किंतु यदि इतिहास पर दृष्टि डालें, तो आज भी मुसलमानों की कुल संख्या संसार की जनसंख्या के चौथे भाग से भी कम है। इसका कारण यही है कि विवेकपूर्ण ढंग से प्रचार नहीं किया गया और संदेश को सही रूप में लोगों तक नहीं पहुँचाया गया।

मुसलमान यह समझते रहे हैं कि युद्ध के माध्यम से इस्लाम का संदेश फैलाया जा सकता है, जबकि युद्ध की अनुमति केवल उसी स्थिति में दी गई है जब शत्रु आक्रमण करे। जब मुसलमानों को युद्ध करने और शस्त्र उठाने की अनुमति दी गई, तो वह भी उसी समय दी गई थी जब विरोधियों ने इस्लाम पर आक्रमण कर उसे समाप्त करने का प्रयास किया था। उसी समय ख़ुदा तआला ने पवित्र क़ुरआन की सूरह हज्ज में यह घोषणा की थी कि जिन लोगों पर अन्याय किया गया है और जिनसे बिना कारण युद्ध किया जा रहा है, उन्हें भी युद्ध की अनुमति दी जाती है, और ख़ुदा तआला उनकी सहायता करने में पूर्णतः समर्थ है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि ख़ुदा तआला ने उनकी सहायता की।

अतः युद्ध की अनुमति केवल अत्याचार की स्थिति में दी गई थी। वर्तमान युग इस प्रकार के युद्ध का युग नहीं है। आज धर्म के नाम पर कोई युद्ध नहीं हो रहा।चाहे विभिन्न बहानों से मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा हो, किंतु उसे धर्म से जोड़कर प्रस्तुत नहीं किया जाता। ख़ुदा तआला ने और आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने पवित्र क़ुरआन के माध्यम से किए जाने वाले आत्मिक संघर्ष को ही महान संघर्ष घोषित किया है।

इसी सामान्य स्थिति के कारण आज भी मुसलमान संसार की जनसंख्या के चौथे भाग से भी कम हैं।

हमें इस तथ्य को सदैव अपने समक्ष रखना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को भली-भाँति समझना चाहिए कि हमने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बैअत की है और आपसे बैअत का संकल्प बाँधा है। अतः हमारे लिए अनिवार्य है कि हम इस प्रतिज्ञा के अनुसार आचरण करें अर्थात् अल्लाह तआला के साथ अपना संबंध स्थापित करें, उसकी शिक्षाओं को सीखें, उन पर स्वयं अमल करें और उसी के साथ-साथ इस संदेश को संसार तक भी पहुँचाएँ।

कुछ लोग सद्भावना के साथ कार्य तो करते हैं, जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा है, किंतु उन्हें या तो पूर्ण ज्ञान नहीं होता या फिर अल्लाह तआला से संबंध का वह स्तर स्थापित नहीं हो पाता जो एक "अल्लाह की ओर बुलाने वाले" के लिए आवश्यक होता है। परिणामस्वरूप वे अंततः निराशा का शिकार हो जाते हैं।

इस बात को भी सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने स्वयं प्रचार-प्रसार के संबंध में आदेश प्रदान किए हैं और समय-समय पर आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। इस विषय में अनेक परंपरागत वर्णन उपलब्ध होते हैं।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हो से एक वर्णन प्राप्त होता है कि हमें यह आदेश दिया गया है कि हम लोगों से उनकी बुद्धि के स्तर के अनुसार बात करें।

(कंज़ुल उम्माल, खंड 5, भाग 10, पृष्ठ 105, हदीस 29268, मकतबा दारुल कुतुब अल-इल्मिय्या, बेरूत)

अतः प्रथम सिद्धांत यही है कि जिस व्यक्ति की जितनी बौद्धिक क्षमता हो, जितना उसका ज्ञान हो, अथवा जिस स्वभाव और जिस धर्म से वह संबंधित हो, उसी के अनुरूप उससे संवाद किया जाए।

उदाहरणार्थ, यदि मुसलमानों को हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के आगमन के विषय में बताना हो, तो उन्हें क़ुरआन-ए-करीम, हदीसों तथा उनके प्रतिष्ठित विद्वानों की पुस्तकों के माध्यम से समझाना चाहिए।

प्रचार करने वालों के संबंध में आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने यह भी निर्देश दिया है। यह एक दीर्घ हदीस है, जिसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि—

अत्याचार-पीड़ित की बद्दुआ से बचना चाहिए। यह बात प्रचार करने वालों के लिए अत्यंत आवश्यक है। उनके अपने आचरण सदैव उत्तम और उच्च स्तर के होने चाहिए और मानवाधिकारों के पालन में उनका स्तर ऐसा होना चाहिए कि वे कभी किसी पीड़ित की बद्दुआ के पात्र न बनें, बल्कि सदा पीड़ितों की दुआएँ प्राप्त करने वाले हों। जब कोई व्यक्ति दुआओं का पात्र बनता है, तो अल्लाह तआला उसके कार्यों में बरकत डाल देता है। फ़रमाया गया है कि इससे बचना चाहिए, क्योंकि पीड़ित और अल्लाह के बीच कोई अवरोध नहीं होता।

(सहीह अल-बुख़ारी (अनूदित), खंड 4, पृष्ठ 459, पुस्तक: अत्याचार और बलात्ग्रहण, अध्याय: पीड़ित की बद्दुआ से बचाव, हदीस 2448, नूर फ़ाउंडेशन)

अतः हमें इस सिद्धांत को सदैव दृष्टि में रखना चाहिए।

मैंने जो आयत पढ़ी है, उसमें "मौइज़त-ए-हसना" की व्याख्या करते हुए एक स्थान पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि :

"अल्लाह ने हम पर यह अनिवार्य कर दिया है कि हम झूठे आरोपों को बुद्धिमत्ता और सुंदर उपदेश के माध्यम से दूर करें। और अल्लाह जानता है कि हमने उत्तर देते समय कभी भी कोमलता और शांति का दामन नहीं छोड़ा।"

अर्थात् आप सदैव सौम्यता का प्रयोग करते रहे। स्वयं अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए आप फरमाते हैं कि मैं तो हमेशा नरमी और शांति के साथ उत्तर देता हूँ यही मेरा सिद्धांत है और अल्लाह तआला इस पर साक्षी है और मैंने सदैव कोमल और मधुर शब्दों का ही प्रयोग किया है।"

अतः प्रचार का यही वह तरीका है जिसे हमें अपनाना चाहिए।

जो लोग प्रचार करते समय कभी-कभी क्रोध में आकर विरोधी की भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, उन्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारा प्रचार सदैव नैतिक सीमाओं के भीतर रहना चाहिए। उनके पास तर्क नहीं होता, इसलिए वे अनुचित भाषा का सहारा लेते हैं; किंतु यदि हम भी वही भाषा अपनाएँ, तो इसका अर्थ यह होगा कि हमारे पास भी कोई ठोस तर्क नहीं है।

कुछ लोग यह कह देते हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी कठोरता का प्रयोग किया है। पहली बात तो वही है जो मैंने पहले स्पष्ट की कि आपने कठोरता नहीं अपनाई। और जहाँ कहीं आपने कठोर शब्दों का प्रयोग किया भी है, वहाँ स्वयं यह स्पष्ट किया है कि

"इसके अतिरिक्त कोई उपाय न रहने पर, जब विरोधियों की ओर से अत्यंत उग्र और विद्रोह भड़काने वाले लेख प्राप्त हुए, तब किसी सीमा तक विवेकपूर्ण कठोरता इस उद्देश्य से अपनाई गई कि लोग इस प्रकार प्रतिकार पाकर अपनी उन्मादी उत्तेजना को नियंत्रित रखें।"

यहाँ भी उद्देश्य शुभ ही था।

"और यह कठोरता न तो किसी आत्मिक आवेग के कारण थी और न ही किसी उकसावे से, बल्कि केवल وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ की आयत पर अमल करते हुए, एक सुविचारित रणनीति के रूप में अपनाई गई थी।"

अर्थात् यह कठोरता किसी व्यक्तिगत रंजिश का परिणाम नहीं थी, बल्कि शिक्षा देने के लिए थी। साथ ही इसका उद्देश्य यह भी था कि मुसलमानों में जो लोग आवेग में आ जाते हैं, उनके जोश को नियंत्रित किया जाए, ताकि वे अनुचित कदम न उठा लें और हिंसा पर न उतर आएँ। आपने यह भी स्पष्ट किया कि यह सब उस समय किया गया, जब विरोधियों की ओर से अपमान, तिरस्कार और अभद्र भाषा अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुकी थी।

यदि कहीं मेरे किसी कठोर शब्द का उल्लेख मिलता है, तो वह इसी कारण से है कि उस समय इस्लाम और आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के प्रति अपमान, तिरस्कार और दुर्व्यवहार चरम सीमा तक पहुँच चुका था। जब उन्होंने इसे अत्यंत बढ़ा दिया, तब उनकी उसी अभद्रता के प्रत्युत्तर में यह कठोरता अपनाई गई।

आप फरमाते हैं कि :

"हमारे स्वामी और संरक्षक, जगत के सरदार, समस्त सृष्टि के गौरव के विषय में उन्होंने इतने घृणित और उपद्रवपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया कि उनसे शांति-भंग की स्थिति उत्पन्न होने ही वाली थी। अतः उस समय हमने इस रणनीति का सहारा लिया।"

(अल-बलाग़, रूहानी ख़ज़ाइन, खंड 13, पृष्ठ 385)

इस प्रकार आपने अपनी विभिन्न पुस्तकों में समुदाय को कठोर भाषा से रोका है और यही निर्देश दिया है कि कुछ स्थानों पर जो शब्द प्रयुक्त किए गए, वे विवश परिस्थितियों के कारण थे; किंतु तुम लोगों को नरमी ही अपनानी है, कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करना है। और आपने उस कठोरता में भी केवल ऐतिहासिक संदर्भों का उल्लेख किया है, न कि उनकी भाँति गालियाँ या अश्लील भाषा का प्रयोग किया।

इसी प्रकार इस आयत की व्याख्या करते हुए आप फरमाते हैं कि :

क़ुरआन-ए-करीम में हमारे लिए यह आदेश है कि :

"और अहले-किताब से वाद-विवाद न करो, सिवाय उस तरीके के जो सर्वोत्तम हो।"

यह सूरह अल-अंकबूत की आयत है। इसका अर्थ यह है कि अहले-किताब से विवाद केवल श्रेष्ठ तर्क के साथ ही किया जाए।

और एक अन्य स्थान पर आप फरमाते हैं कि अल्लाह तआला का यह आदेश

"अपने प्रभु के मार्ग की ओर बुद्धिमत्ता और सुंदर उपदेश के साथ बुलाओ और उनसे उस विधि से वाद-विवाद करो जो सर्वोत्तम हो"

इसका अभिप्राय यही है कि ईसाइयों से वाद-विवाद भले तरीके से, लाभदायक ढंग से किया जाए और एक बुद्धिमत्तापूर्ण तथा उपदेशात्मक शैली का पालन किया जाए, जिससे उन्हें लाभ पहुँचे।

और यही सिद्धांत प्रत्येक धर्म के अनुयायी तथा प्रचार करने वाले के लिए है चाहे वह यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, या आज के समय में वे मुसलमान हों जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को स्वीकार नहीं करते। उन सभी के लिए प्रचार में यही शिक्षा है कि वे बुद्धिमत्तापूर्ण और उपदेशात्मक शैली को अपनाएँ।

आप फरमाते हैं कि

"परंतु यह तरीका कि हम सरकार की सहायता लें या नऊज़ूबिल्लाह (हम इससे ख़ुदा की शरण चाहते हैं) स्वयं उकसावे का प्रदर्शन करें, यह सर्वथा अनुचित है।"

यह मार्ग किसी भी रूप में हमारे वास्तविक उद्देश्य के लिए लाभकारी नहीं है। ये तो सांसारिक संघर्ष और टकराव के ढाँचे हैं, और सच्चे मुसलमान तथा इस्लामी तरीकों को समझने वाले लोग इन्हें कदापि पसंद नहीं करते, क्योंकि इनके माध्यम से मानवता के मार्गदर्शन के लिए उपयोगी परिणाम उत्पन्न नहीं हो सकते।

(किताबुल बरिय्या, रूहानी ख़ज़ाइन, खंड 13, पृष्ठ 317-318)

हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी तफ़सीर-ए-कबीर में "उदअु इला सबीली रब्बिका बिल-हिक्मत" की व्याख्या की है। आपने "हिक्मत" के अर्थ भाषाई दृष्टि से स्पष्ट किए हैं और विभिन्न शब्दकोशों के अनुसार इसके अर्थ बताए हैं। आप फरमाते हैं कि "हिक्मत" के अर्थ सहनशीलता के भी होते हैं, और इसका यह भी अर्थ है कि नरमी के साथ और बुद्धि का प्रयोग करते हुए बात की जाए।

अल्लाह तआला यह स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति इस प्रकार व्यवहार नहीं करता, वह शीघ्र ही आवेग में आकर क्रोध और उत्तेजना में डूब जाता है, और ऐसा व्यक्ति दूसरे को कभी भी समझा नहीं सकता।

इसी प्रकार "हिकमत" के एक अर्थ नबूवत भी होते हैं। इन अर्थों के अनुसार इसका आशय यह होगा कि ख़ुदा तआला की वाणी की सहायता से लोगों को धर्म की ओर आमंत्रित किया जाए। अतः अल्लाह तआला ने जो वाणी प्रदान की है और क़ुरआन-ए-करीम ने स्वयं जो तर्क प्रस्तुत किए हैं, उन्हीं को लोगों के सामने रखा जाए। अपनी ओर से बनावटी बातें और खोखले दावे प्रस्तुत न किए जाएँ।

आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़े ही खेद के साथ यह बात कही थी कि यदि मुसलमान इस रहस्य को समझ लेते, तो यहूदियत और ईसाइयत पर पूर्ण रूप से वैचारिक विजय प्राप्त कर लेते। हमारा वास्तविक शस्त्र क़ुरआन-ए-करीम है, जिसके विषय में अल्लाह तआला फरमाता है—

"और इसके द्वारा उनसे संघर्ष करो।"

अर्थात् क़ुरआन की इस तलवार को हाथ में लेकर संसार में संघर्ष के लिए निकल खड़े हो जाओ। किंतु अत्यंत दुःख की बात है कि आज संसार की लगभग प्रत्येक भौतिक वस्तु मुसलमानों के हाथ में है। अनेक देश संपन्न हैं, तेल की अपार संपदा है, विशाल व्यापारिक साधन उपलब्ध हैं। मुसलमानों के पास अनेक राष्ट्र हैं—लगभग चौवन देश—किन्तु इस्लामी शिक्षाओं के साथ जिस प्रकार का संघर्ष किया जाना चाहिए था, वह उन्होंने नहीं किया। अल्लाह तआला ने जिस "तलवार" को लेकर निकलने का आदेश दिया था, उसका अभिप्राय यही था कि क़ुरआन-ए-करीम के तर्कों के साथ प्रचार के लिए आगे बढ़ा जाए।

फिर आपने यह भी स्पष्ट किया कि शब्दकोश के अनुसार "हिकमत" के एक अर्थ यह भी हैं जो अज्ञान को दूर करे।

अब इन अर्थों के अनुसार इस आयत का आशय यह होगा कि ऐसा कथन किया जाए जिसे दूसरा व्यक्ति समझ सके और जिससे उसकी भ्रांतियाँ दूर हो सकें। अर्थात् वह बात कही जाए जो अज्ञान का पूर्ण रूप से नाश कर दे और श्रोता की बौद्धिक क्षमता के अनुरूप हो। इसी संदर्भ में हदीस में भी आता है

"हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व आलिही वसल्लम ने आदेश दिया कि हम लोगों से उनकी बुद्धि के स्तर के अनुसार बात करें।"

जैसा कि मैं पहले भी इस हदीस का उल्लेख कर चुका हूँ।

कुछ लोग भाषण देते समय भारी-भरकम शब्दों और जटिल पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करके श्रोताओं पर रोब जमाना चाहते हैं। संभव है कि ऐसे भाषणों से अज्ञानी लोगों पर कुछ प्रभाव पड़ जाए, किंतु उनसे वास्तविक लाभ कोई नहीं उठाता। यहाँ भी यही स्थिति उत्पन्न होती है। जब हम बाहरी लोगों से या कभी-कभी विद्वानों से संवाद करते हैं, तो वे भी इसी प्रकार की जटिल भाषा का प्रयोग करते हैं। किंतु यदि हम भी वैसी ही भाषा अपनाएँ, तो भले ही यह स्पष्ट न हो कि उन्हें लाभ होगा या नहीं, परंतु सामान्य जनता को मूल बात समझ में नहीं आती। वे केवल शब्दाडंबर में उलझे रहते हैं।

जब सरल और सहज भाषा में समझाया जाएगा, तो संभव है कि सुनने वालों में से बहुत से ऐसे लोग हों जिन्हें बात समझ में आ जाए और वे शब्दाडंबर करने वालों की अपेक्षा आपकी बात को अधिक ध्यानपूर्वक सुनना और स्वीकार करना चाहें।

फिर आपने यह भी फ़रमाया कि "सत्य के अनुरूप कथन" को भी हिकमत कहा जाता है। यह बात भी शब्दकोशों में लिखी हुई है। इन अर्थों के अनुसार इस आयत का आशय यह होगा कि ऐसी बात की जाए जो सत्य हो और वास्तविक तथ्यों के अनुरूप हो। कुछ लोग यह सोचकर कि हम सत्य धर्म की ओर ही आमंत्रित कर रहे हैं, कभी-कभी असत्य या अतिशयोक्तिपूर्ण बातें भी कह देते हैं।

कभी-कभी प्रचार में लोगों से अतिरंजना हो जाती है, जबकि प्रचार में किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति की आवश्यकता नहीं होती। क़ुरआन-ए-करीम की शिक्षाओं को सामने रखें, हदीसों को सामने रखें, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कथनों को सामने रखें और उसी के अनुसार प्रचार करें। इसके बाद परिणाम को अल्लाह तआला पर छोड़ दें।

आपने फ़रमाया कि असत्य बातों को प्रस्तुत करना एक गलत तरीका है। शत्रु के सामने जो बात कही जाए, वह सत्य कही जाए। दूसरों को मार्गदर्शन देते-देते स्वयं पथभ्रष्ट न हो जाओ। जैसा कि अल्लाह तआला फरमाता है :

"यदि तुम स्वयं मार्गदर्शन पर स्थित हो, तो जो भटक गया है वह तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचा सकता।"

(सूरह अल-माइदह : 106)

अर्थात् यदि तुम स्वयं मार्ग पर स्थिर हो, तो इस बात की चिंता मत करो कि दूसरा भटकता है या नहीं; उसकी भ्रांति तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। अपने आपको सुरक्षित रखो। यानी कोई ऐसी बात, जो पाप हो या असत्य हो, यह सोचकर न कहो कि इसके माध्यम से मैं दूसरे को मार्गदर्शन दे दूँगा। जब तुम्हारा मार्गदर्शन और दूसरे का मार्गदर्शन आमने-सामने आ जाए, तो उस समय अपने मार्गदर्शन की रक्षा करो और दूसरे के मार्गदर्शन को अल्लाह तआला पर छोड़ दो। क्योंकि अल्लाह तआला यह पसंद नहीं करता कि कोई ईमानवाला अविश्वासी बन जाए या कोई अविश्वासी ईमानवाला बन जाए; वह तो सबको सत्य मार्ग दिखाना चाहता है।

फिर आपने "हिकमत" शब्द की व्याख्या करते हुए शब्दकोशों से यह अर्थ भी बताया कि अवसर और परिस्थिति के अनुकूल किया गया कथन भी हिकमत कहलाता है।

इन अर्थों के अनुसार इस आयत का आशय यह होगा कि प्रचार में उचित समय और उचित ढंग से बात करनी चाहिए। यदि कुछ तर्कों से शत्रु के भड़कने या क्रोधित होने की आशंका हो, और यह खतरा हो कि वह इस कारण से तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, तो बिना कारण उसे उकसाना उचित नहीं है। उसके सामने ऐसे अन्य तर्क प्रस्तुत करो जिन्हें वह शांत चित्त से सुन सके।

अर्थात् बात करते समय पहले उसके स्वभाव और मानसिक स्थिति को समझ लो। यदि तुम उसे अनावश्यक रूप से उत्तेजित करोगे, तो ऐसे प्रचार से कोई लाभ नहीं होगा। केवल अपनी महानता प्रकट करने के लिए या यह जताने के लिए कि हम सत्य पर हैं, मसीह मौऊद सच्चे हैं, इस्लाम सत्य है और आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम संपूर्ण संसार के लिए नबी हैं : यदि ये बातें बिना तर्क के कही जाएँगी, तो उनसे केवल उत्तेजना ही उत्पन्न होगी। बुद्धिमत्ता के साथ बात करो, ताकि लोगों को इन बातों की वास्तविक समझ भी प्राप्त हो सके।

अतः यही वह विशेषता है कि अल्लाह तआला ने अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में प्रचार के समस्त सिद्धांतों को स्पष्ट कर दिया है। यही वह पद्धति है कि यदि हम प्रचार करने वाले इस पर अमल करें, तो इंशा अल्लाह हमें सफलताएँ भी प्राप्त होंगी।

"अल-मौइज़तुल-हसना" अर्थात् वह उपदेश जो हृदयों को कोमल कर देता है और उन पर गहरा प्रभाव डालता है। इस उपदेश के माध्यम से मुसलमानों को यह चेतावनी दी गई है कि केवल शुष्क तर्कों से काम न लिया जाए।

आज यह ज़िम्मेदारी जमाअत-ए-अहमदिया की है कि वह इस्लाम का यह संदेश संसार तक पहुँचाए। जिससे भी विरोधी या प्रतिद्वंद्वी के रूप में संवाद हो, उसे यह बताया जाए कि धर्म केवल शुष्क तर्कों का नाम नहीं है, बल्कि उसमें उपदेश और नैतिक प्रेरणा के अनेक पहलू भी हैं, जिन पर अमल करना आवश्यक है।

फिर फ़रमाया गया कि भावनाओं को उद्बुद्ध करने वाली बातें भी की जाएँ, किंतु बुद्धिमत्ता के साथ "अल-मौइज़तुल-हसना" को भी सम्मिलित रखा जाए। और "हसना" शब्द का प्रयोग करके यह स्पष्ट कर दिया गया कि झूठी उत्तेजनाएँ न भड़काई जाएँ, जैसा कि आजकल कुछ अज्ञानी धर्माचार्य बिना कारण लोगों को सत्यनिष्ठा के विरुद्ध भड़काते रहते हैं।

"और उनसे उस विधि से वाद-विवाद करो जो सर्वोत्तम हो" यह कहकर यह शिक्षा दी गई कि विवाद या चर्चा करते समय यह भी ध्यान में रखा जाए कि उपलब्ध तर्कों में से जो सबसे अधिक सशक्त और उत्कृष्ट तर्क हो, उसी को आधार और केंद्र बनाया जाए, और अन्य तर्कों को उसके सहायक के रूप में प्रस्तुत किया जाए। क्योंकि सहायक तर्क के दुर्बल हो जाने से मूल तर्क को कोई क्षति नहीं पहुँचती; किंतु यदि मूल आधार ही दुर्बल हो, तो कितने ही सशक्त सहायक तर्क भी विशेष लाभ नहीं दे सकते।

इसके पश्चात् अल्लाह तआला फरमाता है:

"निश्चय ही तेरा प्रभु ही उसे सबसे अधिक जानता है जो उसके मार्ग से भटक गया है, और वही मार्ग पर चलने वालों को भी भली-भाँति जानता है।"

अर्थात् इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि तुम पूरी निष्ठा और उत्तम ढंग से प्रचार करते रहो। यदि लोग स्वीकार न करें, तो इससे निराश होकर यह निष्कर्ष न निकालो कि हमें प्रचार करना ही नहीं आता। संभव है कि तुम्हारे प्रचार में कोई कमी न हो, किंतु श्रोता के हृदय पर उसके पापों की ऐसी परत चढ़ी हो कि अल्लाह तआला उसके लिए मार्गदर्शन का द्वार न खोले।

सार यह है कि प्रचार में निरंतर लगे रहना चाहिए यही मूल कर्तव्य है। हमारा कार्य प्रचार करते रहना है; परिणाम उत्पन्न करना और प्रभाव पैदा करना अल्लाह तआला का कार्य है।

(सारगृहीत: तफ़सीर-ए-कबीर, खंड 4, पृष्ठ 271-274, संस्करण रबवा)

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बहुत से लोग स्वयं को मौलवी और विद्वान कहलवाकर मंचों पर चढ़ जाते हैं, अपने आपको रसूल के प्रतिनिधि और नबियों के उत्तराधिकारी ठहराकर उपदेश देते फिरते हैं। वे लोगों से कहते हैं कि घमंड, अहंकार और दुष्कर्मों से बचो, किंतु उनके अपने कर्म और आचरण क्या हैं—इसका अनुमान तुम इस बात से लगा लो कि उनकी बातों का तुम्हारे हृदय पर कितना प्रभाव पड़ता है। जिनकी प्रकृति नेक होती है, उन पर भी उनकी बातों का कितना प्रभाव पड़ता है, यह स्वयं देख लो।

अतः यदि तुम्हारे हृदयों पर ऐसे उपदेशकों की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो अपने ही हाल पर विचार करो। यदि तुम भी वैसी ही बातें करोगे, तो तुम्हारी बातों का प्रभाव कहाँ होगा? इससे यह निष्कर्ष निकालो कि यदि तुम प्रचार करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने आचरण को सुधारना आवश्यक है और अल्लाह तआला से सच्चा संबंध स्थापित करना चाहिए। जब यह स्थिति उत्पन्न होगी, तभी तुम्हारा प्रचार सही होगा, सफल होगा और प्रभावकारी बनेगा।

आप अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि यदि ऐसे लोग व्यवहारिक शक्ति भी रखते और उपदेश देने से पहले स्वयं अमल करते, तो अल्लाह तआला को क़ुरआन-ए-करीम में यह कहने की आवश्यकता ही न पड़ती :

"तुम वह क्यों कहते हो जो स्वयं नहीं करते?"

(सूरह अस्-सफ़्फ़ : 3)

इस आयत का होना ही इस बात का प्रमाण है कि संसार में ऐसे लोग मौजूद थे, हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे, जो कहते तो हैं पर स्वयं अमल नहीं करते। यह इस तथ्य का भी प्रमाण है कि ऐसे उपदेशक होंगे जिनकी बातों को सुनकर लोग कभी-कभी मान भी लेते हैं, किंतु जब उनके कर्म देखते हैं तो उनसे दूर हट जाते हैं।

अतः यदि तुम प्रचार करना चाहते हो, तो अपने कथन और कर्म में पूर्ण समानता उत्पन्न करो। तभी तुम्हारा प्रचार सफल होगा और उसमें अल्लाह तआला की बरकत भी होगी।

फिर आप अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया :

"मेरी बात ध्यान से सुनो और भली-भाँति स्मरण रखो कि यदि मनुष्य की वाणी हृदय की सच्चाई से न निकली हो और उसमें व्यवहारिक शक्ति न हो, तो वह प्रभाव उत्पन्न नहीं करती। इसी से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की महान सत्यता प्रकट होती है, क्योंकि जो सफलता और हृदयों में प्रभाव आपको प्राप्त हुआ, वैसी सफलता और वैसा प्रभाव मानव इतिहास में कहीं नहीं मिलता। और यह सब इसलिए हुआ कि आपके कथन और आपके कर्म में पूर्ण सामंजस्य था।"

(मल्फ़ूज़ात, खंड 1, पृष्ठ 67–68, संस्करण 1984)

अतः यदि हमें प्रचार का कार्य करना है और संदेश पहुँचाना है, तो इसी पद्धति पर

CHANDIGARH DIAGNOSTIC LABORATORY
थाने वाला चौक, ठीकरीवाल रोड, नज़दीक केनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक क़ादियान
सभी प्रकार के शारीरिक टैस्ट (खून, मल,बलगम इत्यादि) कंप्यूटरराइज्ड तरीके से उपलब्ध हैं।
हमारे सहभागी :- SRL (SUPER RANBAXY LABORATORIES), THYROCARE MUMBAI.

चौधरी खिज़र बाजवा दरवेश क़ादियान, लुकमान अहमद बाजवा
और जानकारी के लिए संपर्क करें :- इमरान अहमद बाजवा, रिज़वान अहमद बाजवा
फ़ोन नंबर :-+91-9646561639,+91-8557901648

चलना होगा। हमें इसी मार्ग का अनुसरण करना होगा। हमें आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की शिक्षा पर अमल करना होगा और अल्लाह तआला से विशेष और गहरा संबंध स्थापित करना होगा।

फिर इसी आयत "तुम वह क्यों कहते हो जो स्वयं नहीं करते" की व्याख्या करते हुए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम एक अन्य स्थान पर फरमाते हैं कि ईमान वाले को दोहरा आचरण नहीं अपनाना चाहिए। सदैव अपने कथन और कर्म को ठीक रखो और उनमें पूर्ण सामंजस्य बनाए रखो। जिस प्रकार सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अपने जीवनों से यह उदाहरण प्रस्तुत किया, उसी प्रकार तुम भी उनके पदचिह्नों पर चलते हुए सत्यनिष्ठा और निष्ठा के नमूने प्रस्तुत करो—तभी प्रचार में बरकत उत्पन्न होगी।

(मल्फ़ूज़ात, खंड 1, पृष्ठ 374)

केवल यह सोच लेना कि आज हमारे पास संचार के साधन उपलब्ध हो गए हैं, इसलिए हम प्रचार कर लेंगे इससे प्रचार के वास्तविक परिणाम उत्पन्न नहीं हो सकते।

फिर आप अलैहिस्सलाम ने "और उनसे उस विधि से वाद-विवाद करो जो सर्वोत्तम हो" की व्याख्या करते हुए एक स्थान पर फ़रमाया—

"जिसे उपदेश देना हो, उसे वाणी के माध्यम से दो।"

अर्थात् वाणी से उपदेश दो।

"एक ही बात होती है वही बात यदि एक ढंग से कही जाए तो किसी को शत्रु बना देती है और दूसरे ढंग से कही जाए तो मित्र बना देती है।"

शब्द वही रहते हैं, बात वही रहती है, किंतु कहने की शैली बदल जाने से परिणाम बदल जाता है।

अतः "जादिल्हुम बिल्लती ही अहसन" के अनुसार अपने व्यवहार को ढालो। इसी प्रकार की वाणी को अल्लाह तआला ने "हिकमत" कहा है। जैसा कि वह फरमाता है

"वह जिसे चाहता है, बुद्धिमत्ता प्रदान करता है।"

(मल्फ़ूज़ात, खंड 5, पृष्ठ 127, संस्करण 1984)

अर्थात् अल्लाह तआला जिसे चाहता है, उसे हिकमत प्रदान करता है।

फिर आप अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया

"इस्लाम की रक्षा और उसकी सत्यता को प्रकट करने के लिए सबसे पहला पहलू यह है कि तुम स्वयं सच्चे मुसलमानों का नमूना बनकर दिखाओ।"

(मल्फ़ूज़ात, खंड 8, पृष्ठ 323, संस्करण 1984)

अतः पहली और मूल बात यही है। यह कोई गौरव की बात नहीं कि हमने प्रचार कर दिया या केवल संदेश पहुँचा दिया। संदेश पहुँचाने के साथ-साथ हमें यह भी देखना होगा कि हमने अपने आचरण में क्या परिवर्तन उत्पन्न किया है। केवल संदेश पहुँचा देना पर्याप्त नहीं है और न ही इसी पर गर्व किया जाना चाहिए कि हम अहमदी हो गए, हमने प्रचार कर दिया और हमारा नाम अल्लाह की ओर बुलाने वालों में लिख दिया गया।

नहीं—बल्कि आपने स्पष्ट रूप से फ़रमाया कि सबसे पहला कार्य यह है कि तुम सच्चे मुसलमानों का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करो। दूसरा कार्य यह है कि इस्लाम की अच्छाइयों और श्रेष्ठताओं को संसार में फैलाओ। हाँ, जब तुम स्वयं उदाहरण बन जाओगे, तब उसे संसार में फैलाओ। फिर देखो कि कैसे परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। जो परिवर्तन धनवान लोग भी उत्पन्न नहीं कर सके, वे परिवर्तन तुम करोगे।

जो लोग कुछ समय प्रचार करने के बाद यह समझ लेते हैं कि कोई परिणाम सामने नहीं आया, उनके विषय में भी आपने फ़रमाया कि जब बात करो तो सोच-समझकर, संक्षेप में और सारगर्भित बात करो। अत्यधिक वाद-विवाद से कोई लाभ नहीं होता। कभी-कभी छोटा सा वाक्य सही समय पर कह दिया जाए, तो वह सीधे कान के माध्यम से हृदय तक पहुँच जाता है। फिर यदि अवसर मिले, तो आगे बात हो सकती है।

यह निरंतरता के साथ प्रचार करने का कार्य है। सार यह है कि धीरे-धीरे सत्य का संदेश पहुँचाते रहो और थको मत। यह हमारा कर्तव्य है—थकना नहीं। यह नहीं कि एक दिन हमने प्रचार-शिविर या सूचना-केन्द्र लगा लिया, प्रचार कर लिया और फिर कार्य समाप्त समझ लिया। नहीं—क्योंकि आज के समय में लोग अल्लाह तआला की मुहब्बत और उसके साथ संबंध को उन्माद समझते हैं।

आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आज के लोग अल्लाह के साथ संबंध को पागलपन समझते हैं। यदि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम आज के समय में होते, तो लोग उन्हें सनकी कहते और वे लोगों को अविश्वासी कहते। दिन-रात निरर्थक बातों, तरह-तरह की असावधानियों और सांसारिक चिंताओं के कारण हृदय कठोर हो जाते हैं और बात का प्रभाव देर से होता है।

आज के युग में संसारपरायण लोग अत्यधिक बढ़ गए हैं। जिस समय आप अलैहिस्सलाम ने यह बातें फरमाईं, उससे कहीं अधिक आज लोग संसार में डूब चुके हैं। ऐसे लोगों पर तुरंत प्रभाव कैसे पड़े?

अतः यह न समझो कि हमारा लक्ष्य किसी विशेष मौलवी या किसी विद्वान को तर्क से पराजित करना है, या किसी आपत्ति करने वाले से लंबी बहस करना है। हमारा उद्देश्य यह है कि संसार में वास्तविक इस्लाम का संदेश पहुँचे और दुनिया को इस बात पर विश्वास हो कि इस युग में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का आना निर्धारित था और वे आ चुके हैं। इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। अनावश्यक वाद-विवाद और लंबे प्रश्नोत्तर में उलझने के स्थान पर, प्रचार के माध्यम से यह देखना चाहिए कि हम अधिक से अधिक लोगों तक सत्य का संदेश कैसे पहुँचा सकते हैं और उनके आचरण का सुधार कैसे कर सकते हैं।

सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने भी यही किया था। वे प्रचार करते थे, किंतु आज के समय में लोग सांसारिक चिंताओं में इतने डूबे हुए हैं कि उन्हें समझाना कठिन हो गया है। इसलिए उन्हें अत्यंत बुद्धिमत्ता से समझाना पड़ता है। यदि हमारे व्यवहारिक उदाहरण में वही शिक्षा झलकने लगे, तो लोगों का ध्यान स्वाभाविक रूप से हमारी ओर आकर्षित होगा।

आप अलैहिस्सलाम ने एक उदाहरण देते हुए फ़रमाया कि एक राजस्व अधिकारी था, जो मुझसे बहस किया करता था। मैं उसे उपदेश देता रहता था और वह मेरा उपहास करता था। किंतु मैंने भी उसे छोड़ना स्वीकार नहीं किया। मैंने कहा—मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं; तुम्हें बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा। संभव है कि आपने उसकी किसी सौभाग्यशाली प्रकृति को पहचान लिया हो।

अंततः आप फरमाते हैं कि मैं उसे निरंतर समझाता रहा और एक समय ऐसा आया कि वह फूट-फूटकर रोने लगा और मुझसे क्षमा माँगने लगा। जो पहले उपहास करता था, उपेक्षा करता था, वह रोने लगा।

आप फरमाते हैं कि कभी-कभी सौभाग्यशाली व्यक्ति प्रारंभ में दुर्भाग्यशाली प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह सौभाग्यशाली ही होता है। जब तुम उसकी समझ के अनुसार और बुद्धिमत्ता के साथ लगातार बात करते रहते हो, तो वह समझ जाता है।

और अंत में आप फरमाते हैं—याद रखो, हर ताले की एक चाबी होती है। हर बंद द्वार की एक कुंजी होती है। इसी प्रकार हर बात की भी एक कुंजी होती है—और वह है उचित शैली। अतः बात सदैव उचित शैली में करनी चाहिए।

हमें इस तथ्य को सदैव अपने सामने रखना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को भली-भाँति समझना चाहिए कि हमने जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बैअत की है और आप अलैहिस्सलाम से जो वचनबद्धता स्थापित की है, उसका वास्तविक अर्थ क्या है। हमने यह संकल्प किया है कि हम अल्लाह तआला के साथ अपने संबंध को सुदृढ़ बनाएँ, उसकी शिक्षाओं को स्वयं सीखें और उन पर आचरण करते हुए वही संदेश समस्त संसार तक पहुँचाएँ।

कुछ लोग उत्तम नीयत के साथ कार्य करते हैं, जैसा कि मैंने आरंभ में उल्लेख किया है, किन्तु उन्हें विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं होता या फिर अल्लाह तआला से संबंध का वह स्तर स्थापित नहीं हो पाता जो एक अल्लाह की ओर बुलाने वाले के लिए अनिवार्य है। इसी का परिणाम यह होता है कि आगे चलकर वे निराशा का शिकार हो जाते हैं।

इस बात को भी सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने भी प्रचार-कार्य के संबंध में स्पष्ट आदेश प्रदान किए हैं और समय-समय पर विभिन्न मार्गदर्शन भी दिए हैं। इस विषय में अनेक परंपराएँ प्राप्त होती हैं।

एक परंपरा हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हो से वर्णित है कि हमें यह आदेश दिया गया है कि हम लोगों से उनकी बौद्धिक क्षमता के अनुरूप संवाद करें।

(कंज़ुल-उम्माल, खंड 5, भाग 10, पृष्ठ 105, हदीस 29268, मक्तबा दारुल-कुतुब अल-इल्मिय्या, बैरूत)

प्रथम सिद्धांत यही है कि जिस व्यक्ति की जितनी बौद्धिक क्षमता हो, जितना उसका ज्ञान हो, अथवा वह जिस स्वभाव और जिस धर्म से संबंध रखता हो, उसी के अनुरूप उससे संवाद किया जाए।

उदाहरणस्वरूप, यदि मुसलमानों को हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के अवतरण का परिचय कराना हो, तो उन्हें क़ुरआन-ए-करीम, हदीसों तथा उनके अपने विद्वानों और पूर्वजों की पुस्तकों के प्रमाणों के माध्यम से समझाना चाहिए।

प्रचार करने वालों के लिए आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने यह भी निर्देश दिया है। यह एक दीर्घ परंपरा है, जिसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि :

पीड़ित व्यक्ति की बद्दुआ से स्वयं को सुरक्षित रखना।

यह बात प्रचारकों के लिए अत्यंत आवश्यक है। उनका स्वयं का आचरण सदैव उत्कृष्ट और उच्च कोटि का होना चाहिए तथा मानवाधिकारों के पालन का ऐसा स्तर होना चाहिए कि वे कभी किसी पीड़ित की बद्दुआ के पात्र न बनें, बल्कि सदैव पीड़ितों की प्रार्थनाएँ प्राप्त करने वाले हों। जब कोई व्यक्ति पीड़ितों की प्रार्थनाएँ प्राप्त करता

है, तो अल्लाह तआला उसके कार्यों में बरकत उत्पन्न कर देता है। आपने फ़रमाया कि इससे बचना चाहिए, क्योंकि पीड़ित की प्रार्थना और अल्लाह तआला के बीच कोई अवरोध नहीं होता।

(सहीह अल-बुख़ारी (अनूदित), खंड 4, पृष्ठ 459, किताब-उल-मज़ालिम वल-ग़स्ब, अध्याय: पीड़ित की प्रार्थना, हदीस 2448, नूर फ़ाउंडेशन)

अतः इस तथ्य को सदैव अपने सामने रखना चाहिए। मैंने जो यह आयत पाठ की है, उसमें मौइज़त-ए-हसनह की व्याख्या करते हुए एक स्थान पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं

"ख़ुदा तआला ने हम पर यह कर्तव्य निर्धारित कर दिया है कि झूठे आरोपों को बुद्धिमत्ता और उत्तम उपदेश के साथ दूर करें। और ख़ुदा तआला जानता है कि हमने कभी भी उत्तर देते समय कोमलता और संयम का दामन नहीं छोड़ा।"

अर्थात् आपने सदैव कोमलता का ही प्रयोग किया। आप स्वयं अपने आचरण का वर्णन करते हुए फ़रमाते हैं कि मैं तो सदैव सौम्यता और धैर्य के साथ उत्तर देता हूँ; यही मेरा सिद्धांत है और अल्लाह तआला इस पर साक्षी है : और मैंने सदैव मृदु एवं सौम्य शब्दों का ही प्रयोग किया है।

अतः प्रचार का यही वह तरीका है जिसे हमें अपनाना चाहिए। इसलिए जो लोग प्रचार करते समय कभी-कभी क्रोध में आकर विरोधी की भाषा अपनाने लगते हैं, उन्हें यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि हमारा प्रचार सदैव नैतिक सीमाओं के भीतर ही रहना चाहिए। विरोधियों के पास ठोस तर्क नहीं होते, इसलिए वे अनुचित भाषा का प्रयोग करते हैं; किन्तु यदि हम भी वैसी ही भाषा अपनाएँगे, तो इसका अर्थ यह होगा कि हमारे पास भी कोई सुदृढ़ तर्क नहीं है।

कुछ लोग यह कह देते हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी कठोरता अपनाई है। पहली बात तो वही है जो पहले स्पष्ट की जा चुकी है कि आपने कठोरता नहीं अपनाई, और जहाँ कहीं आपने कठोर शब्दों का प्रयोग किया, वहाँ स्वयं यह स्पष्ट किया कि :

"सिवाय उन परिस्थितियों के, जब कभी-कभी विरोधियों की ओर से अत्यंत उग्र और विद्वेषपूर्ण लेख प्राप्त हुए, तब हमने कुछ सीमा तक विवेकपूर्ण कठोरता इस उद्देश्य से अपनाई कि समुदाय उस प्रकार का प्रत्युत्तर पाकर अपने उन्मत्त आवेग को नियंत्रित रखे।"

यहाँ भी नीयत पूर्णतः शुद्ध थी। और यह कठोरता न तो किसी आत्मिक आवेग के कारण थी और न ही किसी उत्तेजना के कारण, बल्कि केवल आयत

وَ جَادِلۡهُمۡ بِالَّتِیۡ هِیَ اَحۡسَنُ

पर अमल करते हुए एक सुविचारित रणनीति के रूप में अपनाई गई थी।

यह कठोरता किसी व्यक्तिगत कटुता के कारण नहीं थी, बल्कि एक शिक्षाप्रद उद्देश्य के लिए थी। दूसरा कारण यह भी था कि मुसलमानों में से जो लोग भावावेश में आ जाते थे, उनके आवेग को नियंत्रित किया जाए, ताकि वे किसी प्रकार की हिंसा या अवांछित कदम न उठाएँ। आपने फ़रमाया कि यह उस समय किया गया जब विरोधियों की ओर से अपमान, तिरस्कार और अभद्र भाषा अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुकी थी, विशेषकर जब इस्लाम और आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के संबंध में अत्यंत घृणित और भड़काऊ शब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे शांति-भंग की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका थी। उसी समय इस नीति को अपनाया गया।

(अल-बलाग़, रूहानी ख़ज़ाइन, खंड 13, पृष्ठ 385)

इस प्रकार आपने अपनी विभिन्न पुस्तकों में समुदाय को कठोर भाषा से रोका है और स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया है कि जहाँ कहीं मजबूरीवश ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, वह केवल विशिष्ट परिस्थितियों के कारण था; सामान्य स्थिति में तुम्हें सदैव कोमलता ही अपनानी है और कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। और यह भी कि आपने कभी गाली-गलौज या अशिष्ट भाषा का सहारा नहीं लिया।

इसी आयत की व्याख्या करते हुए आप यह भी फ़रमाते हैं कि हमारे लिए क़ुरआन-ए-करीम में यह आदेश है :

وَلَا تُجَادِلُوۡۤا اَهۡلَ الۡکِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِیۡ هِیَ اَحۡسَنُ

जो सूरह अल-अंकबूत की आयत है। इसका अभिप्राय यह है कि अहले-किताब से वाद-विवाद न किया जाए, सिवाय उस पद्धति के जो सर्वश्रेष्ठ हो।

फिर एक अन्य स्थान पर आप यह भी फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआला का यह आदेश है

اُدۡعُ اِلٰی سَبِیۡلِ رَبِّکَ بِالۡحِکۡمَۃِ وَالۡمَوۡعِظَۃِ الۡحَسَنَۃِ وَجَادِلۡهُمۡ بِالَّتِیۡ هِیَ اَحۡسَنُ

इसके अर्थ यही हैं कि ईसाइयों से भी सदाचारपूर्ण, लाभकारी, बुद्धिमत्तापूर्ण और उपदेशात्मक ढंग से संवाद करना चाहिए ऐसे ढंग से जो उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो। और यही सिद्धांत प्रत्येक धर्म के प्रचारक के लिए है चाहे वह यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो या आज के समय में वे मुसलमान हों जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को स्वीकार नहीं करते।

आप फ़रमाते हैं कि यह मार्ग कदापि उचित नहीं कि सरकार की सहायता से या (नऊज़ूबिल्लाह (हम इससे ख़ुदा की शरण चाहते हैं)) स्वयं उत्तेजना उत्पन्न की जाए। यह पद्धति हमारे वास्तविक उद्देश्य के लिए कदापि लाभकारी नहीं है। यह सांसारिक युद्ध और संघर्ष की प्रवृत्तियाँ हैं, जिन्हें सच्चे मुसलमान और इस्लामी मार्ग के ज्ञाता कभी पसंद नहीं करते, क्योंकि इनसे मानवता के मार्गदर्शन के लिए उपयोगी परिणाम उत्पन्न नहीं हो सकते।

(किताब-उल-बर्रिया, रूहानी ख़ज़ाइन, खंड 13, पृष्ठ 317-318)

हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी तफ़सीर-ए-कबीर में

اُدۡعُ اِلٰی سَبِیۡلِ رَبِّکَ بِالۡحِکۡمَۃِ

की व्याख्या की है। आपने शब्द "हिकमत" के भाषाई अर्थों को स्पष्ट करते हुए बताया है कि विभिन्न शब्दकोशों में इसके अर्थ सहनशीलता, संयम और कोमलता के साथ विवेकपूर्वक संवाद करने के बताए गए हैं।

अल्लाह तआला यह फ़रमाता है कि जो व्यक्ति इस प्रकार व्यवहार नहीं करता, वह शीघ्र ही क्रोध और आवेग में आ जाता है, और ऐसा व्यक्ति कभी भी दूसरे को सही प्रकार से समझा नहीं सकता।

मनुष्य को आत्म-प्रशंसा में लिप्त नहीं होना चाहिए। उसे प्रत्येक वस्तु का वास्तविक साधन अल्लाह तआला को ही समझना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तआला के माध्यम से ही हमें हर वस्तु प्राप्त होती है। लोगों के साथ अपने संबंधों को उत्तम बनाना चाहिए। कई बार हमारा जनसंपर्क कमज़ोर होता है, जिसके कारण प्रचार-कार्य का क्षेत्र सीमित रह जाता है। इस पक्ष पर भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने संबंधों को विस्तृत करने की ओर सचेत रहते हैं। जब हम स्वयं इस दिशा में प्रगति करेंगे और अपनी कार्य-टोली को भी आगे बढ़ाएँगे, तब हमारे प्रचार-क्षेत्र निरंतर और अधिक विस्तृत होते चले जाएँगे।

इसके अतिरिक्त, बुराई के विरुद्ध साहसपूर्वक उसका खंडन करने का उत्साह भी होना चाहिए। यह भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है, जो एक मुरब्बी में होना आवश्यक है, और जिसे उसे आगे चलकर जमाअत के भीतर भी उत्पन्न करना चाहिए।

स्थिरता और निरंतरता का स्वभाव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चार दिन सद्कर्म कर लिए, प्रचार का उत्साह प्रदर्शित कर दिया या उपासना कर ली, और उसके बाद सब कुछ भुला दिया। नहीं! बल्कि जिस प्रकार वह स्वयं इन बातों पर निरंतरता के साथ स्थिर रहे, उसी प्रकार जमाअत के भीतर भी यह भावना उत्पन्न करे। जब मुरब्बियान स्वयं अपने आचरण से उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, तो निश्चित रूप से जमाअत के भीतर भी यही आत्मा विकसित होगी। तब ऐसे दाइयान-ए-इलल्लाह तैयार होंगे, जो लोगों के प्रश्नों का उचित ढंग से उत्तर दे सकेंगे और जिनकी स्थिति कभी भी लज्जाजनक नहीं होगी।

(उद्धृत नसाहे मुबल्लेगीन, हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहिब रज़ियल्लाहु अन्हु, ख़लीफ़तुल मसीह सानी, पृष्ठ 1 से 13 तथा पृष्ठ 20)

जैसा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया है कि केवल भाषा सीख लेने से ही प्रचार का सही तरीक़ा नहीं आ जाता, बल्कि मूल वस्तु ज्ञान है। इसके साथ-साथ चिंतन और मनन करने की आदत भी होनी चाहिए। अल्लाह तआला के साथ सुदृढ़ संबंध होना चाहिए।

ये सभी बातें ऐसी हैं जो एक मुरब्बी में स्वयं तो होनी ही चाहिएँ, साथ ही उन्हें जमाअत को सिखाने और उनमें विकसित करने का भी प्रयास करना चाहिए। यदि ऐसा हो जाए, तो हम एक महान परिवर्तन उत्पन्न कर सकते हैं। तभी हम आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के ध्वज को संसार में ऊँचा लहराने के योग्य बन सकते हैं। और तभी हम मुसलमानों को आने वाले मसीह मौऊद और महदी माहूद अलैहिस्सलाम की वास्तविकता से परिचित करा सकते हैं तथा उन्हें आपकी बैअत में सम्मिलित होने का आमंत्रण दे सकते हैं।

अतः हमारे ऊपर अनेक दायित्व हैं, जिनके निर्वाह की ओर हमें गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। इस कार्य में हमारे मुरब्बियान की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। अल्लाह तआला सबको इसकी सामर्थ्य प्रदान करे और दाइयान-ए-इलल्लाह को भी यह सामर्थ्य दे कि वे यथार्थ ज्ञान अर्जित करें, अल्लाह तआला से सजीव संबंध स्थापित करें और फिर इस्लाम और अहमदियत के संदेश को संसार के प्रत्येक कोने तक पहुँचाने वाले बनें। (साभार: अल-फ़ज़्ल इंटरनेशनल, 2 जनवरी 2026)

★ ★ ★

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का पवित्र जीवन

(हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद[रज़ि.] जमाअत अहमदिया के द्वितीय ख़लीफ़ा)

हज़रत मुहम्मद (स.अ.व.) का जीवन चरित्र

ख़ुदा तआला और इस्लाम की सच्चाई का यह एक बहुत बड़ा निशान और महान प्रमाण है कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के जीवन की परिस्थितियां जितनी स्पष्ट हैं किसी अन्य नबी के जीवन की परिस्थितयां उतनी स्पष्ट नहीं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उन आरोपों के निवारण के पश्चात एक मनुष्य जिस शुद्ध हृदयता के साथ मुहम्मद रसूलुल्लाह (स.अ.व.) के अस्तित्व से प्रेम कर सकता है अन्य किसी मनुष्य के अस्तित्व से इतना प्रेम कदापि नहीं कर सकता, क्योंकि जिनके जीवन गुप्त होते हैं उनके प्रेम में विघ्न पड़ जाने की सदैव आशंका रहती है। मुहम्मद रसूलुल्लाह (स.अ.व.) का जीवन तो एक खुली पुस्तक थी। शत्रु के आरोपों का समाधान हो जाने के पश्चात् कोई ऐसा पहलू नहीं रहता कि जिस पर दृष्टिपात करने पर हमारे समक्ष आप (स.अ.व.) के जीवन का कोई नया दृष्टिकोण आ सकता हो, न कोई रहस्य शेष रहता है जिसके प्रकट होने के पश्चात् किसी अन्य प्रकार की वास्तविकता हम पर प्रकट होती हो। ईश्वरीय ग्रन्थों को उचित अर्थों में लोगों के मस्तिष्कों में दृढ़तापूर्वक प्रविष्ट कराने के लिए अनिवार्य होता है कि उसके साथ उच्च आदर्श भी हो और सर्वोच्च आदर्श वही हो सकता है जिस पर वह किताब अवतरित हुई हो। यह रहस्य सूक्ष्म और दार्शनिकतापूर्ण है और अधिकांश धर्मों ने तो इस के मर्म को समझा ही नहीं। अस्तु, हिन्दू धर्म वेदों को प्रस्तुत करता है परन्तु वेदों को लाने वाले ऋषियों और मुनियों के इतिहास के बारे में बिल्कुल मौन है। हिन्दू धर्माचार्य इसकी आवश्यकता को आज तक भी नहीं समझ सके, इसी प्रकार ईसाई और यहूदी विद्वान तथा पादरी बड़ी धृष्टता के साथ कह देते हैं कि बनी इस्राईल के अमुक नबी में अमुक दोष था, अमुक नबी में अमुक दोष था। वे यह बात नहीं समझ सकते कि ख़ुदा तआला ने अपनी वाणी के लिए जिस व्यक्ति का चयन किया, जब वह वाणी उसका सुधार नहीं कर सकती तो अन्य का क्या सुधार करेगी। यदि वह व्यक्ति ऐसा ही सुधार-योग्य न था तो ख़ुदा तआला ने उसे क्यों चुना? क्या कारण है कि किसी अन्य को नहीं चुना? ख़ुदा तआला के लिए कौन सी विवशता थी? कि वह 'ज़बूर' (एक धार्मिक ग्रन्थ) के लिए दाऊद को चुनता, वह बनी इस्राईल में से किसी अन्य व्यक्ति का चयन कर सकता था। अतः ये दोनों बातें अनुचित हैं। यह विचार कर लेना कि ख़ुदा तआला ने जिस पर कलाम (वाणी) अवतरित किया, वह वाणी उसका सुधार न कर सकी, यह विचार कर लेना कि ख़ुदा तआला ने एक ऐसे व्यक्ति को चुन लिया जो सुधार योग्य न था, ये दोनों बातें बुद्धि के बिल्कुल विपरीत हैं, परन्तु बहरहाल विभिन्न धर्मों में अपने मुख्य स्रोत से दूरी के कारण इस प्रकार की ग़लत धारणाएं उत्पन्न हो गई हैं या यों कहो कि मनुष्य के मानसिक विकास के पूर्ण न होने के कारण प्राचीन युग में उन वस्तुओं के महत्त्व को समझा ही नहीं गया, परन्तु इस्लाम में प्रारम्भ ही से इस बात के महत्त्व को समझा गया था। रसूले करीम (स.अ.व.) की पत्नी हज़रत आइशा[रज़ि.] का आप से तेरह-चौदह वर्ष की आयु में विवाह हुआ और लगभग सात वर्ष की अवधि तक आप के साथ रहीं। जब नबी करीम (स.अ.व.) का निधन हुआ तो उन की आयु 21 वर्ष थी, वह अनपढ़ थीं, परन्तु इसके बावजूद वह उन के जीवन-आदर्शों से भली-भांति परिचित थीं। एक बार किसी ने आप[रज़ि.] से प्रश्न किया कि रसूले करीम (स.अ.व.) के शिष्टाचारों के संबंध में कुछ तो बताइए तो आप[रज़ि.] ने फ़रमाया كَانَ خُلُقُہٗ کُلُّہٗ الْقُرْاٰن[1] अर्थात् आप के शिष्टाचारों का क्या पूछते हो आप जो कुछ कहा करते थे क़ुर्आन करीम में उन्हीं बातों का आदेश है तथा क़ुर्आन की सैद्धान्तिक शिक्षा आप के क्रियात्मक आचरण से पृथक नहीं है। प्रत्येक आचरण जिसका क़ुर्आन में वर्णन किया है उस पर आप का क्रियात्मक आचरण था और प्रत्येक क्रियात्मक आचरण जो आप करते थे उसी की क़ुर्आन करीम में शिक्षा है। यह कैसी उत्तम बात है। ज्ञात होता है कि रसूले करीम (स.अ.व.) के शिष्टाचार इतने विशाल और इतने उच्चकोटि के थे कि एक युवती जो शिक्षित भी नहीं थी उसके ध्यान को भी इस आचरण तक आकृष्ट करने में सफल हो गए। हिन्दू, ईसाई, यहूदी और मसीही दार्शनिक जिस बात के मर्म को न समझ सके, हज़रत आइशा[रज़ि.] उस बात के मर्म को समझ गईं तथा छोटे से वाक्य में आप ने यह सूक्ष्म तत्व स्पष्ट कर दिया कि यह कैसे हो सकता है कि एक सत्यनिष्ठ और सदात्मीय मनुष्य संसार को एक शिक्षा दे और फिर उस पर स्वयं आचरण न करे अथवा स्वयं उस शुभ कर्म पर आचरण करे और उसे संसार से गुप्त रखे। अतः तुम्हें मुहम्मद रसूलुल्लाह (स.अ.व.) के शिष्टाचार मालूम करने के लिए किसी इतिहास की आवश्यकता नहीं, वह एक सत्यनिष्ठ और सदाचारी मनुष्य थे, जो कहते थे वह करते थे और जो करते थे वह कहते थे। हमने उन्हें देखा और क़ुर्आन करीम को समझ लिया और तुम लोग जो बाद में आए हो क़ुर्आन पढ़ो और मुहम्मद रसूलुल्लाह को समझो।

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ وَ عَلٰی اٰل اِبْرَاھِیْمَ
وَ بَارِکْ وَسَلِّمْ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔

मुहम्मद (स.अ.व.) के आविर्भाव के समय अरब की परिस्थितियां "मूर्ति पूजा"

मुहम्मद रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने जिस युग में जन्म लिया उस युग की अवस्थाओं को भी आप (स.अ.व.) के जीवन की गतिविधियों का एक भाग ही समझना चाहिए क्योंकि इसी पार्श्व में मनुष्य आप के जीवन की अवस्थाओं की वास्तविकता से भली-भांति परिचित हो सकता है। आप (स.अ.व.) ने मक्का में जन्म लिया तथा आप का जन्म अगस्त सन् 570 ई.[1] में बनता है। आप (स.अ.व.) के जन्म पर आप (स.अ.व.) का नाम मुहम्मद रखा गया, जिसका अर्थ 'प्रशंसा किया गया' है। जब आप (स.अ.व.) ने जन्म लिया उस समय सम्पूर्ण अरब कुछ अपवादों के अतिरिक्त द्वैतवादी था। ये लोग स्वयं को इब्राहीम के वंशज बताते थे और यह भी मान्यता रखते थे कि इब्राहीम द्वैतवादी नहीं थे, परन्तु इसके बावजूद द्वैतवाद में लिप्त थे और तर्क यह देते थे कि कुछ मनुष्य उन्नति करते-करते ख़ुदा तआला के इतने निकट हो गए हैं कि ख़ुदा तआला के दरबार में उनकी सिफ़ारिश अवश्य स्वीकार की जाती है। चूंकि ख़ुदा तआला का अस्तित्व नितान्त वैभवशाली है, उस तक पहुँचना प्रत्येक मनुष्य का कार्य नहीं, पूर्ण मानव ही उस तक पहुँच सकते हैं। इसलिए सामान्य मनुष्यों के लिए आवश्यक है कि वे कोई न कोई माध्यम बनाएं और उस माध्यम द्वारा ख़ुदा तआला की प्रसन्नता और सहायता प्राप्त करें। इस अद्‌भुत और अनोखी आस्थानुसार वे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एकेश्वरवादी मानते हुए अपने लिए द्वैतवाद का औचित्य भी पैदा कर लेते थे। इब्राहीम परम सदाचारी था, वह ख़ुदा के पास बिना माध्यम के पहुँच सकता था परन्तु मक्का निवासी इस स्तर के नहीं थे, इसलिए उन्हें कुछ महान् हस्तियों को माध्यम बनाने की आवश्यकता थी। जिस उद्देश्यप्राप्ति के लिए वे उन हस्तियों की मूर्तियों की उपासना करते थे तथा इस प्रकार अपने विचार में उन्हें प्रसन्न

शेष पृष्ठ 12 पर

"या मन् इस्मुहू दवा व ज़िक्रुहू शिफ़ा" इस दुआ का संदर्भ और इसकी वास्तविकता क्या है?

क्या रोज़े के बिना रमज़ान का एतिकाफ़ करना बिदअत की श्रेणी में आता है और क्या रोज़े के बिना एतिकाफ़ की कोई सुन्नत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के सहाबा से कोई उदाहरण मिलता है?

सोमवार और गुरुवार को नफ़्ली रोज़े रखने में क्या तत्वदर्शिता है, तथा क्या इन दोनों दिनों के अतिरिक्त अन्य दिनों में भी नफ़्ली रोज़े रखे जा सकते हैं?

सूद लेना और देना हराम है। पश्चिमी देशों में जब कोई व्यक्ति अपना निवास-गृह खरीदना चाहता है तो उसे उस पर भी सूद देना पड़ता है। तो क्या इन देशों में कोई मुसलमान अपना घर नहीं खरीद सकता?

रमज़ान में घरों को सजाने और रमज़ान कैलेंडर बनाने के विषय में मार्गदर्शन।

सय्यदना हज़रत अमीरुल मौमेनीन ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ से पूछे जाने वाले अहम प्रश्नों के उत्तर (क़िस्त 55)

प्रश्न: मीरपुर, आज़ाद कश्मीर से एक महिला ने हुज़ूर अनवर ऐदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ की सेवा में पत्र लिखकर पूछा कि लाइलाज रोगियों पर पढ़कर फूँकने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली एक दुआ — "या मन इस्मुहू दवा व ज़िक्रुहू शिफ़ा" प्रचलित है। इस दुआ का संदर्भ क्या है और इसकी वास्तविकता क्या है?

हुज़ूर अनवर ऐदहुल्लाहु तआला ने अपने दिनांक 9 अप्रैल 2022 ई० के पत्र में इस प्रश्न के विषय में निम्नलिखित मार्गदर्शन प्रदान किया। हुज़ूर अनवर ने फ़रमाया:

उत्तर: मेरे ज्ञान में तो ऐसी कोई दुआ नहीं है जो आपने अपने पत्र में लिखी है। हाँ, हदीसों में यह वर्णन अवश्य मिलता है कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम स्वयं भी तथा सहाबी-ए-रसूल सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम भी सूरह फ़ातिहा, मुअव्विज़तैन (अर्थात् सूरह फ़लक और सूरह नास) तथा कुछ अन्य दुआओं के माध्यम से ज्वर, विभिन्न रोगों तथा साँप और बिच्छू आदि के डँसने पर दम किया करते थे।

अतः हदीसों में यह घटना वर्णित है कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की एक टोली किसी यात्रा पर निकली और एक क़बीले के पास आकर ठहरी। उन्होंने वहाँ के लोगों से भोजन माँगा, किंतु क़बीले वालों ने उनकी अतिथि-सेवा करने से इंकार कर दिया। इसके बाद उस क़बीले के सरदार को साँप या बिच्छू ने डँस लिया। क़बीले वालों ने उसके उपचार का पूरा प्रयास किया, परंतु कोई लाभ न हुआ। तब किसी ने सुझाव दिया कि जो बाहरी लोग हमारे यहाँ ठहरे हुए हैं, उनसे भी पूछ लिया जाए, संभव है कि उनमें से किसी के पास कोई उपचार हो।

सहाबा से पूछे जाने पर एक सहाबी ने कहा कि हाँ, मुझे दम करना आता है, किंतु चूँकि तुम लोगों ने हमारी अतिथि-सेवा नहीं की, इसलिए मैं अभी तुम्हारे सरदार पर दम नहीं करूँगा। इस पर क़बीले वालों ने बकरियों के एक पूरे झुंड को देने का वचन दिया। तब उस सहाबी ने सूरह फ़ातिहा पढ़कर क़बीले के सरदार पर दम किया। सूरह फ़ातिहा की बरकत से वह व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ हो गया और इस प्रकार चलने-फिरने लगा मानो उसे किसी ने काटा ही न हो।

सहाबा ने क़बीले वालों से बकरियाँ प्राप्त कर लीं। एक व्यक्ति ने कहा कि इन बकरियों को आपस में बाँट लेते हैं, किंतु जिस सहाबी ने दम किया था, उन्होंने परामर्श दिया कि जब तक हम आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की सेवा में उपस्थित होकर यह घटना प्रस्तुत न कर दें और यह न जान लें कि हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम हमें क्या आदेश प्रदान करते हैं, तब तक ऐसा नहीं करना चाहिए।

अतः वे लोग आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की सेवा में उपस्थित हुए और पूरा वृत्तांत प्रस्तुत किया। इस पर आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि सूरह फ़ातिहा दम करने वाली सूरह है? तुमने बिल्कुल ठीक किया है। इन बकरियों को आपस में बाँट लो और मेरे लिए भी एक भाग निर्धारित करो। यह कहते हुए आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम मुस्कुरा दिए।

(उद्धृत: सहीह बुख़ारी, किताबुत-तिब्ब, बाबुन्नफ़्सि फ़िर्रुक़्या)

हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वर्णन करती हैं कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम यह दुआ पढ़कर दम किया करते थे:

"ऐ लोगों के पालनहार! इस पीड़ा को दूर कर दे। आरोग्य तेरे ही हाथ में है। तेरे अतिरिक्त कोई भी इस पीड़ा को दूर करने वाला नहीं है।"

(सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलाम, बाब इस्तिहबाबि रुक़्यातिल मरीज़)

इसी प्रकार हदीसों से यह भी ज्ञात होता है कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम दम करते समय हल्की फूँक भी मारा करते थे।

(सुनन इब्ने माजह, किताबुत-तिब्ब, बाबुन्नफ़्सि फ़िर्रुक़्या)

यही विधि हमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम तथा आपके सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के जीवन से भी प्राप्त होती है।

अतः हज़रत मुफ़्ती मुहम्मद सादिक़ साहिब रज़ियल्लाहु अन्हु वर्णन करते हैं कि एक अवसर पर यह विनीत लेखक लाहौर से क़ादियान आया हुआ था और जमाअत लाहौर के कुछ अन्य साथी भी साथ थे। सूफ़ी अहमद दीन साहिब मरहूम ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सेवा में निवेदन प्रस्तुत करूँ कि वे सूफ़ी साहिब के सीने पर दम कर दें।

जब हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम कोठरी से भीतर की ओर जा रहे थे, तब मैं आगे बढ़ा और सूफ़ी साहिब को प्रस्तुत कर उनकी प्रार्थना निवेदित की। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कुछ पढ़कर सूफ़ी साहिब के सीने पर दम किया (अर्थात् फूँक मारी) और फिर भीतर पधार गए।

(उद्धृत: "ज़िक्र-ए-हबीब", लेखक हज़रत मुफ़्ती मुहम्मद सादिक़ साहिब रज़ियल्लाहु अन्हु, पृष्ठ 137)

इसी प्रकार हज़रत पीर सिराजुल हक़ साहिब नुमानी रज़ियल्लाहु अन्हु वर्णन करते हैं कि एक बार मैं सरसावा से चलकर क़ादियान शरीफ़ में हज़रत अक़दस अलैहिस्सलाम की सेवा में उपस्थित हुआ। उस समय हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह अव्वल नूरुद्दीन साहिब रज़ियल्लाहु अन्हु भी पधारे हुए थे। प्रातःकालीन नमाज़ अदा करने के पश्चात् सभी बैठे हुए थे।

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हमने बहुत से पीरों को देखा है जो क्रियाएँ और तावीज़ करते हैं। क्या आपको भी कोई ऐसी विधि ज्ञात है, जिसे देखकर हमें भी विश्वास हो जाए कि वास्तव में प्रभाव होता है?

मैंने निवेदन किया कि हाँ, मुझे ज्ञात है। फ़रमाया: दिखाइए। मैंने कहा: उचित समय आने दीजिए, मैं अवश्य दिखा दूँगा।

हज़रत अक़दस अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि अवश्य, साहबज़ादे को यह विधि स्मरण होगी, क्योंकि उनके पूर्वजों से यह परंपरा चली आ रही है।

लगभग दो घंटे पश्चात् एक व्यक्ति आया जिसे पसली के तीव्र दर्द (ज़ातुल-जनब) की शिकायत थी। मैंने निवेदन किया कि इस पर विधि करता हूँ। हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया: कीजिए। हज़रत अक़दस अलैहिस्सलाम ने भी अनुमति प्रदान की।

मैंने उस व्यक्ति पर दम किया, तो अल्लाह तआला ने उसे पूर्ण रूप से पीड़ा से मुक्ति प्रदान कर दी और उसे स्वास्थ्य प्रदान किया। जब उसे आराम हो गया तो हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया: यह तो सम्मोहन है। उस

समय मैंने न तो सम्मोहन का नाम सुना था और न ही जानता था कि यह क्या होता है।

हज़रत अक़्दस अलैहिस्सलाम ने पूछा: साहबज़ादे, तुमने क्या पढ़ा था? मैंने निवेदन किया: "हज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम एवं आले-मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम पर दरूद" तथा "अल-हम्दु शरीफ़" पढ़ी थी।

(उद्धृत: तज़्किरतुल महदी, पृष्ठ 186, प्रकाशन 1914 ई०, ज़िया-उल-इस्लाम प्रेस, क़ादियान)

अतः आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम तथा आपके सहाबा-ए-किराम अलैहिमुस्सलाम से दम करना प्रमाणित है। इसमें अल्लाह तआला केवल अपने अनुग्रह से, इन क़ुरआनी सूरहों, पवित्र स्मरणों तथा बुज़ुर्गों की दुआओं की बरकत से रोगी को आरोग्य प्रदान करता है।

प्रश्न: जर्मनी से एक मित्र ने हुज़ूर अनवर ऐदहुल्लाहु तआला से पूछा कि क्या रमज़ान का एतेकाफ़ बिना रोज़े के करना नवाचार (बिदअत) नहीं माना जाएगा, और क्या बिना रोज़े के एतेकाफ़ की कोई सुन्नत अथवा सहाबा-ए-रसूल सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम से कोई मिसाल मिलती है?

हुज़ूर अनवर ऐदहुल्लाहु तआला ने अपने दिनांक 10 मई 2022 ई० के पत्र में इसका निम्नलिखित उत्तर प्रदान किया। हुज़ूर अनवर ने फ़रमाया:

उत्तर: आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की सुन्नत से तो यही सिद्ध होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम रमज़ान का एतेकाफ़ सदैव रोज़ों के साथ ही किया करते थे। इसी कारण हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वर्णन करती हैं कि सुन्नत यह है कि एतेकाफ़ करने वाला व्यक्ति न किसी रोगी की सेवा-पूछ के लिए बाहर जाए, न जनाज़े में सम्मिलित हो, न पत्नी को कामेच्छा के साथ स्पर्श करे और न उसके साथ दांपत्य संबंध स्थापित करे, तथा मानवीय अनिवार्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से मस्जिद से बाहर न निकले। रोज़े के बिना एतेकाफ़ मान्य नहीं है और केवल जामा मस्जिद में ही एतेकाफ़ किया जा सकता है।

(सुनन अबू दाऊद, किताबुस्सौम, बाबुल-मुअतक़िफ़ यआउदुल-मरीज़)

अतः सहाबा-ए-रसूल सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम तथा विद्वान धर्मशास्त्रियों का यही मत है कि मस्नून एतेकाफ़ के लिए रोज़े अनिवार्य हैं, और आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की निरंतर सुन्नत यही रही कि आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम रमज़ान के अंतिम दस दिनों में मस्जिद में एतेकाफ़ किया करते थे।

(सहीह मुस्लिम, किताबुल-एतेकाफ़)

हाँ, रमज़ान के मस्नून एतेकाफ़ के अतिरिक्त सामान्य एतेकाफ़ या मन्नत का एतेकाफ़ बिना रोज़े के भी किया जा सकता है, और यह एतेकाफ़ कुछ दिनों या कुछ घंटों का भी हो सकता है।

अतः हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि उन्होंने आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की सेवा में निवेदन किया कि मैंने अज्ञानता के युग में यह मन्नत मानी थी कि मैं एक रात के लिए मस्जिद-ए-हराम में एतेकाफ़ करूँगा। इस पर आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: अपनी मन्नत को पूरा करो।

(सुनन तिरमिज़ी, किताबुन्नुज़ूर वल-ऐमान)

अतः निष्कर्ष यह है कि रमज़ान का मस्नून एतेकाफ़ रोज़ों के साथ, रमज़ान के अंतिम दस दिनों में मस्जिद में ही किया जाता है, जबकि रमज़ान के अतिरिक्त सामान्य एतेकाफ़ बिना रोज़े के तथा कम या अधिक समय के लिए किया जा सकता है।

प्रश्न: जामिआ अहमदिया कनाडा के एक छात्र ने हुज़ूर अनवर ऐदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ की सेवा-ए-अक़्दस में यह जिज्ञासा प्रस्तुत की कि सामान्यतः सोमवार और गुरुवार को नफ़्ली रोज़े रखने में क्या विशेष ज्ञान है, तथा क्या इन दो दिनों के अतिरिक्त अन्य दिनों में भी नफ़्ली रोज़े रखे जा सकते हैं?

हुज़ूर अनवर ऐदहुल्लाहु तआला ने अपने दिनांक 10 मई 2022 ई० के पत्र में इस प्रश्न के विषय में निम्नलिखित मार्गदर्शन प्रदान किया। हुज़ूर अनवर ने फ़रमाया:

उत्तर:: सोमवार और गुरुवार के दिन नफ़्ली रोज़ा रखने के विषय में अहादीस में विभिन्न कारण वर्णित हुए हैं। अतः हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि सोमवार और गुरुवार के दिन मनुष्यों के कर्म अल्लाह तआला के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरे कर्म इस अवस्था में प्रस्तुत हों कि मैं रोज़े से रहूँ।

(सुनन तिर्मिज़ी, किताबुस्सौम, बाब: सोमवार और गुरुवार के रोज़े के संबंध में वर्णन)

इसी प्रकार एक अन्य हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि सोमवार और गुरुवार को स्वर्ग के द्वार खोल दिए जाते हैं और हर उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया जाता है जिसने अल्लाह तआला के साथ किसी को सहभागी न ठहराया हो।

(सुनन तिर्मिज़ी, किताबुल-बिर्र वस्सिला, बाब: परस्पर संबंध तोड़ने वालों के विषय में)

फिर एक और हदीस में आता है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम से सोमवार के रोज़े के बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमाया कि इसी दिन मेरा जन्म हुआ था और इसी दिन मुझ पर वह्य (ख़ुदा तआला के प्रकाशन) का अवतरण आरंभ हुआ था।

(सहीह मुस्लिम, किताबुस्सियाम, बाब: प्रत्येक महीने तीन दिन रोज़ा रखने तथा अरफ़ा, आशूरा, सोमवार और गुरुवार के रोज़ों की श्रेष्ठता)

सोमवार और गुरुवार को नफ़्ली रोज़ा रखना हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की सामान्य सुन्नत थी।

(सुनन नसाई, किताबुस्सियाम, बाब: नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के रोज़ों का वर्णन)

इसी प्रकार एयाम-ए-बीज़ अर्थात् प्रत्येक चंद्र मास की तेरहवीं, चौदहवीं और पंद्रहवीं तिथि को भी हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम नियमित रूप से रोज़ा रखा करते थे। (सुनन नसाई, किताबुस्सियाम)

इसके अतिरिक्त यौम-ए-अरफ़ा (नौ ज़िलहिज्जा) और यौम-ए-आशूरा (दस मुहर्रम) के रोज़ों की भी हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने अत्यधिक महिमा वर्णित की है। (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सियाम)

हालाँकि जो व्यक्ति हज पर उपस्थित हो, उसके लिए यौम-ए-अरफ़ा का रोज़ा रखना निषिद्ध है। (सुनन इब्न माजा, किताबुस्सियाम)

अतः दोनों ईदों के दिन और एयाम-ए-तशरीक़ (ग्यारह, बारह और तेरह ज़िलहिज्जा), जो कि मुसलमानों के लिए आनंद और भोजन के दिन हैं, (सुनन तिर्मिज़ी, किताबुस्सौम)

इन दिनों के अतिरिक्त मनुष्य किसी भी दिन नफ़्ली रोज़ा रख सकता है। किंतु केवल शुक्रवार के दिन को नफ़्ली रोज़े के लिए विशेष रूप से निर्धारित करना निषिद्ध है। (सुनन तिर्मिज़ी, किताबुस्सौम)

और जो व्यक्ति हज पर हो तथा हज के साथ उमरा का भी लाभ उठाए और उसके पास क़ुर्बानी करने की सामर्थ्य न हो, तो वह एयाम-ए-तशरीक़ के तीन रोज़े हज के दिनों में रखेगा। (सहीह बुख़ारी, किताबुस्सौम)

नफ़्ली रोज़ों के विषय में हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की एक विस्तृत शिक्षा हदीस में इस प्रकार मिलती है। हज़रत अबू क़तादा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हो वर्णन करते हैं कि रसूलुल्ला सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम से सौम-ए-दहर (अर्थात् जीवन भर निरंतर रोज़ा रखने) के विषय में पूछा गया, तो आपने फ़रमाया कि ऐसे व्यक्ति ने न तो वास्तविक रूप से रोज़ा रखा और न ही इफ़्तार किया, अर्थात् आपने ऐसे रोज़े को अप्रिय ठहराया।

वर्णनकर्ता कहते हैं कि फिर आपसे दो दिन रोज़ा रखने और एक दिन इफ़्तार करने के विषय में पूछा गया, तो आपने फ़रमाया कि इसकी शक्ति कौन रख सकता है? फिर एक दिन रोज़ा रखने और दो दिन इफ़्तार करने के विषय में पूछा गया, तो आपने फ़रमाया कि अल्लाह तआला हमें इसकी सामर्थ्य प्रदान करे। फिर एक दिन रोज़ा रखने और एक दिन इफ़्तार करने के विषय में पूछा गया, तो आपने फ़रमाया कि ये मेरे भाई हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े हैं।

फिर आपसे सोमवार के रोज़े के विषय में पूछा गया, तो आपने फ़रमाया कि यही वह दिन है जिसमें मेरा जन्म हुआ, इसी दिन मुझे नबी बनाया गया और इसी

EDITOR
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Editor : +91-9915379255
e-mail : badarqadian@gmail.com
www.akhbarbadr.in

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF THE NEWSPAPERS FOR INDIA AT NO RN PUNHIN/2016/70553
Weekly BADAR Qadian
Qadian - 143516 Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA
POSTAL REG. No.GDP 45/ 2026-2028 Vol. 10 Thursday 22 January 2026 Issue No. 4

Act. MANAGER :
ATHAR AHMAD SHAMIM
Mobile : +91-9815639670
e-mail:managerbadrqnd@gmail.com
www.alislam.org/badr

दिन मुझ पर क़ुरआन-ए-करीम का अवतरण हुआ।

आपने यह भी फ़रमाया कि प्रत्येक महीने में तीन दिन रोज़ा रखना और एक रमज़ान से अगले रमज़ान तक रोज़ा रखना, पूरे जीवन के रोज़ों के समान है। फिर आपसे अरफ़ा के दिन के रोज़े के विषय में पूछा गया, तो आपने फ़रमाया कि यह बीते हुए वर्ष और आने वाले वर्ष के पापों का प्रायश्चित्त बन जाता है। और जब आशूरा के दिन के रोज़े के विषय में पूछा गया, तो आपने फ़रमाया कि यह बीते हुए एक वर्ष के पापों का प्रायश्चित्त बन जाता है।

(सहीह मुस्लिम, किताबुस्सियाम)

प्रश्न: जर्मनी से एक महिला ने हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ से प्रश्न किया कि सूद लेना और देना हराम है। पश्चिमी देशों में जब कोई व्यक्ति अपना घर ख़रीदना चाहता है तो उसे उस पर सूद भी देना पड़ता है। तो क्या एक मुसलमान इन देशों में अपना घर नहीं ख़रीद सकता?

उत्तर: हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने अपने पत्र दिनांक 10 मई 2022 में इस विषय में फ़रमाया कि पश्चिमी देशों में बंधक (मार्गेज) के माध्यम से जो घर ख़रीदे जाते हैं, उनमें सामान्यतः बैंक या किसी वित्तीय संस्था से ऋण लिया जाता है। जब तक यह ऋण पूर्ण रूप से चुका न दिया जाए, वह घर ऋण देने वाले बैंक या संस्था की ही संपत्ति रहता है। और बैंक इस ऋण पर अतिरिक्त धन भी वसूल करता है, जिसका कारण वह मुद्रा का अवमूल्यन बताता है।

इन देशों में चूँकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए निवास हेतु घर ख़रीदना सरल नहीं होता, इसलिए या तो उसे जीवन भर किराए के घर में रहना पड़ता है, जिसमें जीवन भर दिए गए किराए के अतिरिक्त कोई स्थायी लाभ नहीं होता, क्योंकि इतना अधिक किराया चुकाने के बावजूद वह घर कभी उसकी संपत्ति नहीं बनता। अथवा वह इन विवश परिस्थितियों में मार्गेज की सुविधा से लाभ उठाकर अपने निवास के लिए एक घर ख़रीद लेता है, जिसमें उसे लगभग उतनी ही मासिक किस्त देनी पड़ती है जितना वह किराया देता था, किंतु मार्गेज में यह लाभ होता है कि किस्तें पूरी हो जाने के बाद वह घर उसकी संपत्ति बन जाता है।

अतः मार्गेज के माध्यम से घर ख़रीदना एक विवशता और आपात स्थिति की अवस्था है, जिससे केवल अपने निवास हेतु एक घर की ख़रीद तक ही लाभ उठाया जा सकता है। किंतु इसी प्रणाली के माध्यम से व्यापार के रूप में एक के बाद एक घर ख़रीदते चले जाना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है, और जमाअत इसकी किसी भी प्रकार से प्रोत्साहना नहीं करती, बल्कि इससे मना करती है।

प्रश्न: आदरणीय नाज़िम साहिब दारुल-इफ़्ता रब्वाह ने रमज़ान में क्रिसमस की शैली पर घरों को सजाने और रमज़ान कैलेंडर बनाकर ईद तक दिनों की गिनती करने के विषय में हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ से मार्गदर्शन चाहा।

उत्तर: हज़ूर अनवर ने फ़रमाया कि इस विषय में भी हमें हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के इस कथन को ध्यान में रखना चाहिए: "कर्मों का मूल्यांकन नीयतों पर आधारित होता है।" यदि रमज़ान में घरों को सजाने और रमज़ान कैलेंडर बनाने की नीयत यह हो कि परिवार के सदस्यों और बच्चों का ध्यान रमज़ान की महत्ता की ओर आकर्षित किया जाए, घर में ऐसा वातावरण बनाया जाए जिससे विशेष रूप से बच्चे रमज़ान की इबादतों और दुआओं की महत्ता को समझें, ताकि सहरी और इफ़्तार के समय उस वातावरण को देखकर वे इबादत और दुआ में संलग्न हो सकें, और रमज़ान के प्रत्येक दिन का उत्साह और उल्लास के साथ स्वागत कर उसके भीतर निहित बरकतों से लाभ उठा सकें—तो इस नीयत से ऐसा करने में कोई स्पष्ट आपत्ति नहीं।

किन्तु यदि इसका उद्देश्य केवल दिखावा हो, और यह सब केवल रिया और आडंबर के लिए किया जाए, और प्रत्येक दिन इस सोच के साथ बिताया जाए कि अच्छा हुआ इतने दिन बीत गए, शेष दिन भी शीघ्र बीत जाएँ और फिर ईद मनाएँ, और ईद में भी वास्तविक आनंद के स्थान पर केवल बाहरी प्रसन्नताओं को महत्व दिया जाए तो ऐसी नीयत के साथ घरों को सजाना और रमज़ान कैलेंडर बनाना कदापि जायज़ नहीं।

अतः निष्कर्ष यह है कि यदि इस कार्य से परिवार में कोई पवित्र परिवर्तन उत्पन्न हो और उन्हें रमज़ान की बरकतों की ओर ध्यान केंद्रित कर उनसे लाभ उठाने का अवसर मिले, तो ऐसी सजावट और कैलेंडर बनाना जायज़ है। किंतु यदि उद्देश्य केवल दिखावा करना और रमज़ान को एक बोझ समझकर बिताना हो, तो ऐसी सजावट और ऐसे कैलेंडर बनाना नाजायज़ है और इसे बिदअत (अनुचित नवाचार) माना जाएगा।

★ ★ ★

इस्लाम और जमाअत अहमदिय्या के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें

नूरुल इस्लाम नं. (टोल फ्री सेवा)
1800 3010 2131
(शुक्रवार को छोड़ कर सभी दिन सुबह 9 00 बजे से रात 11 00 बजे तक)
Web.www.alislam.org
www.ahmadiyyamuslimjamaat.in

पृष्ठ 9 का शेष

करके ख़ुदा तआला के दरबार में अपना माध्यम बना लेते थे। इस आस्था में जो दोष और अनर्गल अंश हैं उनके समाधान की ओर उन का ध्यान कभी गया ही नहीं था, क्योंकि कोई एकेश्वरवादी शिक्षक नहीं मिला था। जब किसी जाति में द्वैतवाद प्रारम्भ हो जाता है तो फिर बढ़ता ही चला जाता है। एक से दो बनते हैं और दो से तीन। अतः मुहम्मद रसूलुल्लाह (स.अ.व.) के जन्म के समय का'बा में (जो अब मुसलमानों की पवित्र मस्जिद है और हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ उपासना गृह है) इतिहासकारों के कथनानुसार उसमें तीन सौ साठ[1] मूर्तियों थीं। प्रतिदिन के लिए एक पृथक मूर्ति थी। इन मुर्तियों के अतिरिक्त आस-पास के क्षेत्रों की बड़ी-बड़ी बस्तियों में तथा बड़ी-बड़ी जातियों के केन्द्रों में मूर्तियाँ अलग- अलग से थीं। मानो अरब का प्रत्येक स्थान द्वैतवाद में लिप्त हो रहा था, अरब लोगों में भाषा की सभ्यता और सुधार का ध्यान बहुत अधिक था, उन्होंने अपनी भाषा को अत्यधिक समृद्ध बनाने का प्रयास किया परन्तु उनके निकट ज्ञान का इससे अतिरिक्त कोई अर्थ न था। इतिहास, भूगोल, गणित इत्यादि विद्याओं में से वे कोई एक विद्या भी न जानते थे। हां मरुस्थल निवासी होने तथा उसमें यात्रा करने के कारण खगोल विज्ञान के माहिर थे। सम्पूर्ण अरब में एक मदरसा भी न था। कहा जाता है कि मक्का में कुछ गिनती के लोग पढ़ना-लिखना जानते थे। नैतिकता की दृष्टि से अरब परस्पर विरोधाभासी विचारधारा रखने वाली एक विचित्र जाति थी। उनमें कुछ अत्यन्त भयानक और वीभत्स पाप पाए जाते थे और कुछ सद्गुण भी पाए जाते थे कि जो उनकी जाति की मान-मर्यादा को श्रेष्ठता और महानता प्रदान करते थे।

★ ★ ★

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor:Shaikh Mujahid Ahmad